ऐसा मत कीजिए। हमें आप अवसर तो देते कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। हम सारी बात आपको स्पष्ट करते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता और जिस प्रकार से एक माहौल पैदा हो गया है। And I want to assure the hon. Members...*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: Please hear the Minister....*(Interruptions)*....

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I am on a simple point. Will the Government review the decision of the CBSE?

MR. CHAIRMAN: Let him reply....*(Interruptions)*... Let him complete.

**श्री जसवंत सिंह:** आपको इसकी बधाई देता हूं, इस तरह से आप बेताब न होईए, आप काहे को बेताब हो रहे हैं। इसीलिए चेयरमैन साहब....(**व्यवधान**)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: You become the Education Minister; that is better.

SHRI JASWANT SINGH: Mr. Chairman, Sir, I started by saying that this is not in the government's knowledge, this is not in my personal knowledge. The Minister of Human Resource Development is not in Delhi. I have consulted my colleague who is the Minister of State in the Ministry of Human Resource Development; it is not in her knowledge. Still I will establish the facts, and if.....*(Interruptions)*.... You don't want me to...

MR. CHAIRMAN: That is all right...*(Interruptions)*...

SHRI JASWANT SINGH: I will establish the facts. I wish to assure the Members that this Government has no intention of shutting the windows and doors of knowledge on any subject. Why should you worry about it?

---

**[The Vice-Chairman (Shri Adhik Shirodkar)** *in the Chair]*

**THE CONSTITUTION (EIGHTY-FOURTH) AMENDMENT BILL, 1999**

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAM JETHMALANI): Sir, I beg to move:

> "that the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, it is a wholly non-controversial measure. Hon. Members must have known that the Bill was passed by the Lok Sabha yesterday by more than a two-thirds majority of the Members present. In fact, it was passed unanimously, without a single dissent. Almost every political party supported it fully. Sir, may be, it is a reflection of my old age that I am these days producing before the House only non-controversial measures.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): It is unusual of you. *(Interruptions)*

SHRI RAM JETHMALANI: My job, recently, seems to be only to make the Members of this House happy, including my friend, Mr. Kapil Sibal. Sir, while I understand that some four hours have been reserved for consideration of this Bill, since I expect that there will be no opposition to the Bill, I wish to say a few words about what I expect by way of contribution from the hon. Members of the House. Sir, it is a matter of great disappointment that the dream of the Constitution-makers that Scheduled Castes and Scheduled Tribes will rise to a level of equality with others and be able to compete on a level-playing field has been largely frustrated. We are all agreed that we must make that dream succeed. Sir, today, the contribution that I am expecting from the hon. Members is to devise ways and means to make sure that what we have not achieved during the last fifty years should be achieved within the next ten years so that my succesor Law Minister does not have to come before Parliament again and ask for extension of this period which, originally, was fixed at ten years from 1950. Now, it is almost the fifth or sixth extension that we are seeking.

Sir, I believe that since the Bill is a non-controversial one, we will refrain from making any points against any party in power previously or any political party whatsoever. Though there has been a failure, we will consider it not as the failure of any particular Government in power, but as a national failure which must be dealt with on a national scale by summoning the moral, material and spiritual resources of the whole nation to put an end to this sorry state of affairs. Sir, frankly, my attitude and the attitude of my Government is that we are here today to listen as students because we must devise methods which are superior to the methods that have been pursued in the past which, unfortunately, have registered either a limited success or no success at all. We have to break new paths. Sir, I am looking forward to illuminating contributions from the hon. Members so that we can really go ahead and wipe off what must be considered a dark spot on the otherwise fair face of the Indian polity and Indian society.

Sir, yesterday, I announced—and I wish to repeat—that it was my intention that we must call a three-day Convention of all Members who represent the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Members even from the Other Backward Classes in both the Houses and all other people who have a special interest in the welfare of these backward classes. We should have a three day Convention. Our debate for three hours, four hours or five hours is going to be a very constrained one. All the time, this time constraint is a matter which irritates every person who wishes to express his thoughts. I think, Sir, we should have, outside the House, a full debate where every person will have the full opportunity to write and speak as much as he wants so that when the Winter Session of Parliament is convened, we come back more informed and better armed with a strategy for the future. Sir, I require

a little encoragement from the hon. Members of both the Houses to hold a Convention of this kind. Sir, as I said, the Constitution (Amendment) Bill is supposed to be No. 84, but when passed, it will become Act No. 79. That amendment has already been moved and passed.

I commend the adoption of this Bill unanimously by this House, but after an illumined debate. Thank you.

*The question was proposed.*

**श्री संघ प्रिय गौतम** (उत्तर प्रदेश): वाइस चेयरमैन साहब, आगे चलकर इस पर बहस होनी है, तीन दिन का सेमिनार होना है तो फिर बहस की क्या जरूरत है। इसे यूनेनीमसली पास होने दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I have got a few names before me now ....(*Interruptions*)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: It was decided that four hours would be given to it. ...(*Interruptions*) All parties agreed to it. ....(*Interruptions*) But let us not scuttle the discussion....(*Interruptions*)...

SHRI EDUARDO FALEIRO (Goa): Sir, I am on a point of order. My point of order is under rule 69 (2) (a) relating to Select Committees. ....(*Interruptions*) Basically I want to make a submission for consideration here. The point is this legislation is very good, as the Minister has said. But it has one handicap which is a major handicap, that it discriminates as far as benefits go on the ground of religion. There is no justification at all for this discrimination. I am making myself clear that the people of Scheduled Caste origin who converted themselves to Muslim religion or Christianity are denied these benefits. What is the argument? The argument is that Muslim religion and Christianity do not recognise castes. This argument has no basis at all on the face of it because neither does Buddhism nor does Sikhism who get these benefits recognises castes. As a matter of fact ....(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): One minute, please. Have you given any notice?

SHRI EDUARDO FALEIRO: Of course, I have given a notice. ....(*Interruptions*)... Sir, I am raising a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please state your point of order. You have mentioned rule 69 (2) (a); but, there is no rule as such.

SHRI EDUARDO FALEIRO: I am sorry, Sir. ....(*Interruptions*)... Let me get it. ....(*Interruptions*)... Please permit me to correct it. ....(*Interruptions*)... Sir, I am referring to rule 70(2) (a). ....(*Interruptions*)... I support this legislation. But, permit me to leave this grievance with you. ....(*Interruptions*)... Please permit me. We are very sentimental about it. Just

because Christianity and Muslim religion do not recognise castes it makes no sense when you give the same benefits, and rightly so, to the people belonging to Sikhism and Buddhism, who not only do not recognised caste but who have converted themselves precisely as protest against caste. What we are doing is that we are recognising the social reality and the social reality is that. ....(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Mr. Feleiro, Please ....(*Interruptions*)...

SHRI EDUARDO FALEIRO: I am helping the House. ....(*Interruptions*)... I request that this point may be registered.

SHRI RAM JETHMALANI: Mr. Feleiro, will you yield for a minute. ....(*Interruptions*)...

SHRI EDUARDO FALIERO: Yes, of course. ....(*Interruptions*)...

SHRI RAM JETHMALANI: The point is not whether the point of order was rightly raised or wrongly raised. But the point the hon. member has made, I think, is a point to be considered. But, he will have the right to participate in the debate where he can raise all these points. We will consider them but not now. As is the convention we will do that later. The problem which he has mentioned is a problem which has been created not by the Government but by a judgement of the Supreme Court wherein Justice Bhagwati some years ago had ruled on this point. I personally think that judgement is already reversed, though not directly, but its reasoning has already been reversed by a larger Bench. I am one with you. I myself do not agree with that view. So we will consider that later. ....(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): He can speak when his turn comes. ....(*Interruptions*)...

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, I am entitled to speak ....(*Interruptions*)... Sir, let me take him into confidence, heart to heart. ....(*Interruptions*) . The time is short, that is perfectly right because there are other Members to speak. Sir, I am taking advantage of the rule to make a short point. ....(*Interruptions*)... One more short point and that short point is that the Anglo-Indian community stands on a different footing from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The reason for reservation for the Scheuled Castes and Scheduled Tribes is social an educational. But for the Anglo-India community it is a numerical ground. The numbers of the Anglo-Indian community are not going to increase. So, if this rationale is to be followed, you are going to again and again make this reservation for the Anglo-Indian community every ten years, *ad infinitum*. My submission, suggestion, request and urging is that, as far as the Anglo-Indian community is concerned, the extension should not be for ten years; it should be

permanent reservation because this community must be represented since it cannot elect anybody through the normal process. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): He has made a point. It is not a point of order.

SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE (Gujarat): Is he suggesting that this Bill should be sent to the Select Committee.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): No. He is only making a suggestion.

SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: The provision is that whatever he has said.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): But he is not insisting on it. He is making a suggestion. (*Interruptions*) Don't worry. He has made a point. Now, we shall proceed in the proper order. Shri H. Hanumanthappa.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am, indeed, very much impressed by my good friend, and the Minister, Mr. Ram Jethmalani. While bringing the Bill, he has understood himself that in the last fifty years, we have not done justice to the cause. I quote from the Statement of Objects and Reasons:—

> "Although the Scheduled Castes and the Schduled Tribes have made considerable progress in the last fifty years, the reasons which weighed with the Constituent Assembly in making provisions with regard to the aforesaid reservation of seats and nomination of members, have not ceased to exist."

What were the circumstances which made the...... *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please. May we listen to what the speaker is saying?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: What were the circumstances that made the Constituent Assembly members make this provision? Let us go back and I quote from the Constituent Assembly proceedings of 24th August, 1949:—

"The Scheduled Castes people are not a minority community."

Acually, the Resolution on reservation comes out of the recommendations of the Minorities Committee of the Constituent Assembly. The Minorities Committee came out with a proposal. In fact, it answers Mr. Eduardo Faleiro's question also. They were able to convince the Minorities Committee, examining the position of Muslims, Christians and Parsees, so far as reservation was concerned. They were gracious enough. The Muslims withdrew from it. The Christians withdrew from it. The Parsees also

withdrew from it. They said that they were with the mainstream, they will be with the mainstream, and that they will contest and win elections. So, they did not want reservations. But, unfortunately, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, who could not persuade themselves at that point of time to do away with reservations, requested for a time-gap of ten years, hoping that their position will improve and they will come on par with the general categories. And they requested for reservation for only ten years. But it is unfortunate, as the Minister has said, that every ten years, the Law Minister has been coming before the House for extension of the reservation. I do agree with the Minister that this should be the last such extention. I still say that we should not carry this reservation to the next millennium. Have you got those guts, have you got that will and have you got that mind to do it? We, the Scheduled Castes, do not want to be called Scheduled Castes. We do not want to be called untouchables. We do not want reservations. Have you got that will? Does that attitudinal change has come about the society? Sir, I take you to the Constituent Assembly Proceedings of 24th August, 1949. I quote: "Scheduled Caste people are not a minority community which have a separate entity from the Hindus. They are blood of our blood and flesh of our flesh......"—these are the words of Shri Jaspath Roy Kapoor, Member of the Constituent Assembly— "....why should they think that they are in any way separate from the rest of the Hindu Community? We do not wish to impose on them our judgement and our views. We will leave it to them to realize, in course of time, that they are not in the right when they demanded reservation of seats to other communities of this country in as short a time as possible...." —this is the responsibility put on other communities— "....by their conduct, must convince the members of the Schedules Castes that their interests are safe in the hands of the rest of India as in their own hands. The rest of India must, therefore, make specific efforts to remove this apprehension in the minds of the Schduled Castes so that even before the period of ten years, they may themselves come forward with the suggestion that they do not want any reservation of seats." Now, today, I put a question to the rest of India. Put your hands on your heart and ask yourself. Have you come up to this expectation? Are you ready to elect the candidates in the general seats? How could you get 79 Scheduled Caste persons elected to Parliament if there were no reservations? It is a question to be answered. I request the hon. Law Minister, who has moved this Bill, to be attentive and request Mr. Venkaiah Naidu not to disturb the Minister. I am sorry. Mr. Naidu, you are a spokesperson, but not in the House. Jethmalaniji, please listen to me. I am sorry.

SHRI RAM JETHMALANI: He did not disturb me, but I distrubed him.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: You have put a question before the House. You wanted an illumined discussion. You want a solution. But you

are indifferent to the discussion. I am sorry to say this. Excuse me. Now, I will proceed with my point. I am coming out with a suggestion. I am putting a question to you, a question to the society. You yourself have said, "I am not doing a pleasant job. It is disappointing." What is the issue involved in this? The Constitution makers said, "You are the blood of my blood and you are the flesh of my flesh and your interests are safe in my hands." We have to give that kind of confidence to the Scheduled Castes. That is the reason why I am appealing to the rest of India. Put your hands on your heart and ask yourself; have you come up to these expectations? As I said earlier, that we are also not happy in calling ourselves as untouchables or Scheduled Castes or requesting for reservation every ten years. But has the society come up to that expectation? Sir, Shri N.C. Laskar said in the Constituent Assembly, I quote, "I believe that any reservation will go against the democracy but the circumstances such as political unconsciousness, backwardness in education and the very poor economic condition of the Scheduled Castes compel them to demand for these privileges." That was the situation when the Constitution was made. But, after fifty years, have we progressed from that stage? Today, are we in a position to say, "Let us not carry out this untouchability to the next millennium", which Gandhiji himself called as a blot on the society?

Finally, while giving his recommendations, Pandit Thakur Das Bhargava, on 18th November, 1949, had said, I quote, "I would like to refer to only one more matter which is very dear to me. We have given much to Scheduled Castes. We have provided reservations for them. An assurance has been given to them in regard to services. We have provided facility of reservation for them in services, under Article 16. If we really want to establish here the classless society, of Mahatama Gandhi, everyone who signs the document of Constitution, must do so with the determination—rather with a pledge—that he must bring the depressed classes at par with him within ten years." This is the challenge posed before the rest of India. Have we answered this? Have we risen to the occasion? Have we ever treated them as the blood of our blood and the flesh of our flesh? Let any Member of Parliament go to any rural constituency and see the position. Your village *dhaba* even today has a separate glass for the Scheduled Castes. Have you noticed it? Have you asked the *dhaba* fellows as to why they are keeping this? Have you ever taken your Scheduled Castes brethren of the village with you to a *dhaba*, and shared a cup of tea with him? This is what is required. In Rajasthan, one cannot sit on a mare at the time of one's marriage, if he is a Scheduled Caste. A Scheduled Caste man cannot sit on his own *charpai* when a *patel* passes by. If he does so, he is beaten up. In Tamil Nadu, a Scheduled Caste cannot walk with his *chappals* on in the village. A boy was beaten up for having a bicycle in the village ...(*Interruptions*)...

SHRI V.P. DURAISAMY (Tamil Nadu): There has been no such incidence in Tamil Nadu. (*Interruptions*)

SHRI H. HANUMANTHAPPA: *Arey baba!* Okay, it is not Tamil Nadu; let it be Karnataka. (*Interruptions*) Why are you disputing? We are debating on the issue, not about the States.

Sir, a school-going Scheduled Caste child felt thirsty; she took water from a pot. Do you know what punishment she got? Her eyes were removed. There was an inquiry into the case by the police. There was an inquiry by the Human Rights Commission. Such is the attitude of the society! So, it is not the reservation which is required for the Scheduled Castes. It is an attitudinal change which is required. Has it come about in the minds of the 'general society'? There has to be a change in attitude—as to how we should see them; as to how we should treat them; as to how we should mingle with them. *Time-bell* Sir, I have not even started.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): You have already spoken for twelve minutes. I have got a list of 15 speakers from your party, with a time of twelve minutes for each. You have already taken your twelve minutes. Unless somebody is prepared to give way to you ...(*Interruptions*)...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: No, if I am not given justice, I am not going to speak ...(*Interruptions*)... I am sorry, when the Minister wanted a discussion on this; I wanted to make my contribution ...(*Interruptions*)...

SHRI N.K.P. SALVE (Maharashtra): He is making a very impassionate plea. Please give him some more time. (*Interruptions*)

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, the hon. Member is the Chairman of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission. He is the most knowledgeable person on the subject. We will all contribute our time to him so that he can have his say.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I do not mind, if your party agrees to it. Please continue.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, I am appealing to the society that we have to bring about an attitudinal change. That is why; I put a question, "Would we have elected 79 Scheduled Caste Members to Parliament, if there had been no reservation?"

We are talking of *panchayati raj*. Our senior colleague, Shri Ramakrishna Hegde, who is sitting here, experimented with *panchayati raj* in Karnataka. He had brought in reservation also. Laxmibai, a Scheduled Caste lady, has been elected as the *sarpanch* of a gram panchayat. But she has not entered

into the Panchayati Hall till date. She has not sit on the chair. Then, a *taluka* panchayat Chairman had to hoist the National Flag on 15th August. The invitation cards had also been printed. But, the rest of India did not tolerate it. The *Tehsildar* issued an injunction on that. But no Government has taken any action. I am not complaining against or accusing any Government. Successive Governments have been responsible for it. I do not want to hide things. These are the things which are happening.

Then, in another incident, during a selection for a university, a professor recommended, "Here is a qualified candidate from amongst the Scheduled Castes. He may be selected." But the Chairman, sitting on the selection board, asked, "Is there any reservation in this?" The answer was, "No" Then why should we select a Scheduled Caste? Even though he is qualified, meritorious, and the Professor says he is qualified, he can be selected, he is not selected. I would like to mention that the Professor is one of the Members of the Selection Committee. It is happening in New Delhi. So, if there is no reservation, merit also is not considered. The view of the Selection Committee is that if there is no reservation, then, why should they select this Scheduled Caste candidate? These are the incidents that are happening. Eminent lawyers have violated the provisions under the PCR Act. Not even in one percent of the cases scheduled castes persons have been convicted. Why? Because nobody other than a scheduled caste comes as a witness. The witness is only a scheduled caste. Your judges treat him as an interested witness. I would like to mention here an atrocity case, where the victim was a scheduled caste, the culprit was an upper caste. No upper caste person gave evidence. Only a Scheduled Caste gave evidence. He was treated as an interested witness. You have to find a remedy for this. I am not interested in litigation. After all, we cannot throw away a set of people from the village. They have to live there; harmony is necessary. But I would like to say that in certain cases where legal provisions are there, these provisions have been abused like this. That is why the percentage of convictions is not high.

Sir, in the President's Address it is mentioned that the Government is committed to safeguarding the interests of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the backward class and the minorities. The Government is determined to wipe out the evils, such as untouchability, from our society. But I would like to know what the Government is planning to do with regard to this. Merely saying that we are prepared to wipe out these evils is not enough. As I told you, the village dhabas still have got that 'cup', separate cups. The scheduled caste people are not allowed to draw water from the wells of the upper class people. Now, we have got potable water arrangement. A hand pump is provided in every village. If the village hand pump is destroyed, the upper class people come to the well of the Scheduled

Castes' hand pump. But these upper class people, though using the hand pumps of the scheduled caste people, treat these scheduled class people untouchable. The Scheduled Caste people cannot touch the well of the upper class, even though, till yesterday, these upper class people were drawing water from the hand pumps of these Scheduled Caste people. Has it not come to the notice of the public representatives? Has any leader attempted to solve this problem? So, this is what is required, more than the reservation. What is happening today is that reservation in services is made. I am talking again to a legal luminary. Sir, as we all know, the reservations are meant for the persons who are totally unable to have upward mobility because there is utter helplessness arising from social and educational backwardness and it is aggravated by economic disabilities. This was the original purpose of reservation. But the Supreme Court under Articles 16(4) and 16(4)(a), does not give any remedy for the solution of this problem. How do you overcome this? The Supreme Court, in almost all judgements, has gone against reservation. Why? The reason is, the argument is one-sided and the judgement is also one-sided. In any reservation order, whether it is promotion or appointment or transfer, the aggreived party is a general category candidate. He takes the matter to the court and the respondent will be the Government department, which is also managed by the general class. So, they argue the case only from one angle and judgements are coming out. This is exactly what happened in Indira Sawhney's case. The Scheduled Caste subject was not listed. Nobody represented the Scheduled Castes, but the Scheduled Castes' promotion was stopped for 5 years. This is where application of this kind is necessary. This is where it pinches. The reservation was started with a sympathy for the people, who were under-privileged, suppressed and depressed for centuries. Today, this sympathy has gone. Apathy has taken over. The cases of Scheduled Castes are look into neither with anger or with jealousy or apathy. Even when a case comes, the man dealing with it has a different attitude. I had given one example in this very House. Applications of two widows on compassionate grounds came before a Company Director. One was appointed as a Lower Divison Clerk, while the other was appointed as a Peon. Both were equally qualifed. It is disgusting that the Scheduled Caste applicant got a Peon's post, while the upper class person got the Clerk's post. This is the mental attitude. The moment you look at the application, you have a pre-determined attitude that this class is meant for only this. Yesterday, in my anguish, I had expressed my reservation about the award given. It said that the Government should specify certain services and positions like technical posts in Reserach and Development Organisation, in specialities and super-specialities, in medicine, engineering, in areas of nuclear and space applications, in the field of aviation etc., where reservation may not be advisable because of the highly

technical nature of the job. Whom are you giving awards in the technical field, in the engineering field, in the medical field, bio-chemistry field, biotechnology field? And, here is a classification. These are all super-speciality fields and no reservation should be awarded. That is where I expressed my anguish. For 25 per cent of the people, you have shut the door and you are announcing the awards. On that day, there was no patience to listen; you are closing the door for 25 per cent of the people so that they do not enter these fields. Today, super-speciality courses have been recognised by the Government to be conducted by private agencies. They charge Rs. 25,000 to Rs. 50,000 and there is no reservation. How can this class enter those courses and learn?

Sir, we are going to the next millennium and into the computer age. We claim that India is advancing. What is the share of this class in this advancement? How many of these people have got colour TVs, washing machines, cellular telephones? This is what you claim as the signals of progress. Have we tried to bring them to the mainstream? On the other hand, we are putting hurdles. Being a learned person and a legal luminary, you must yourself be knowing that Article 16(4) and Article 16(4)(a) do not confer any right, though they impose Constitutional duties. If this is the inclination, what is the use of the Constitution Amendment at all? What is the use of the law-making body? It is challenge to the law-making body itself, if it is interpreted that it does not enjoin any duty or responsiblity. These are the issues to which we have to apply our mind when we discuss the reservation issue.

**We are not happy in asking for reservation every time. You yourself have said: "let not the next Law Minister comes with another amendment to extend it for a further period." That is why I again and moved an amendment to make it at least 30 years, instead of coming again, after every ten years. I am not enamoured of these reservations. I have not used that reservation in my life. Even though I do not want to be called, but the society recognises me as a Scheduled Cast and as an untouchable. Birth was not in my hand. I would not have born if it was in my hand. But, unfortunately, I was born. I have been humiliated and insulted. And I have to suffer. Reservation is for people who have not been adequately represented. The corollary of it is most adequately represented people have more reservation. They can occupy posts adequately or more than adequately. This is another anomaly. This attitude creates anger, jealousy and apathy towards the Scheduled Castes.**

**Sir, finally, I want to say I am not happy asking for reservation or for extension of reservation. But it is a means—it is not an end by itself—to bring up certain people, the deprived people, the suppressed people who**

**have been discriminated against for centuries together. I request the Government while passing this Bill to understand the problem and try to bring about an attitudinal change. The approach has to change. When you say that you want to remove untouchability from our society, please come out with your action plan.**

**Sir, around Delhi, a number of families belonging to the Scheduled Castes have been uprooted. Some 25 years ago they were given land pattas. But you have not recognised them. Today land mafias are evicting them around Delhi with the connivance of the police because the value of land has gone up. Their pattas have not been regularized. Their cases are not heard at all for years together before the SDMs and DMs.**

Yesterday, contrary to this, a report had appeared in the newspapers that from now onwards residential schools will not get grants. The concept of residential school was totally different. It was intended to remove a child from an inefficient family, incapacitated family, uneducated family and make that child an earning member in that family. A child will not be allowed to go to the class that does not have a slate, that does not have proper uniform, that does not have text books. That was the intention. It was intended to remove that child from that atmosphere, from the slum atmosphere, from the unhealthy atmosphere and bring him to a school under the care and protection of the State. But I was shocked to hear that from now onwards residential schools will not be getting grants. They say, "They are prepared to go to the village schools. So, why should we have the residential schools?" I do not know whether the press report is right or wrong. I do not want to comment on the press report. Anyway, the Minister of Social Empowerment is sitting here and I hope that she would take note of that.

While supporting the Bill, I appeal to the country, I appeal to the countrymen, particularly to the parliamentarians to please go to the depth of the problem. It is not just reservation in services or reservations in Parliament or reservations in Panchayats or reservations in Zilla Parishads. It is not at all that. You have to answer the world. The world is shrinking. State Human Rights Commissions have come up. Their reports are pending. Why are we not treating one-fifth of the country's population still as equals? Thank you.

**श्री बंगारू लक्ष्मण** (गुजरात): उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि 15 दिन पहले सरकार बनी और इतनी जल्दी यह बिल, एक महत्वपूर्ण बिल, संविधान संशोधन का बिल यह सरकार इस सत्र में लाई। यह ठीक है कि इसके प्रति किसी का विरोध नहीं है किन्तु पिछले दिनों 1980 में जब तीसरी बार रिज़र्वेशन को बढ़ाने की दृष्टि से बिल लाने की बात थी, उसके विरोध में बहुत बड़ा आन्दोलन सारे देश में चला और उसमें लगभग 100 लोग मारे गए थे। उसके बाद 1980 में तीसरी बार यह एक्सटेंशन दिया गया।

इस बार इस प्रकार का कोई भी वातावरण देश में नहीं है और सारे ही दल इस रिज़र्वेशन को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं। जहां तक इस को बढ़ाने का सवाल है, इस पर तो किसी प्रकार की बहस की आवश्यकता नहीं थी लेकिन डिबेट हो रही है तो स्वाभाविक रूप से इसके साथ-साथ जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन पर भी विचार करने की आवश्यकता आन पड़ी है। यह ठीक है कि आज हम राजनीतिक रिज़र्वेशन को हर 10 साल बाद बढ़ा रहे हैं लेकिन बाहर जब यह चर्चा होती है और आरक्षण की बात आती है तो दलितों को दिए जाने वाले आरक्षण के बारे में यह कहा जाता है कि हर प्रकार का आरक्षण ये 10 साल में एक बार बढ़ाते जा रहे हैं, वास्तविकता यह नहीं है। जो राजनीतिक आरक्षण है पार्लियामेंट और असेंबली के लिए, आर्टिकल 334 को अमेंड करके हर 10 साल में हम उसको एक बार बढ़ा रहे हैं लेकिन सर्विसेज के लिए जो रिज़र्वेशन है आर्टिकल 335 के अंतर्गत, उसके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। वह रिज़र्वेशन चलता रहेगा। महोदय, यह भी सब लोग जानते हैं कि जिस दिन राजनीतिक रिज़र्वेशन समाप्त हो जाएगा, उस दिन सर्विसेज़ के अंदर भी जो रिज़र्वेशन है, वह भी समाप्त हो सकता है। यह बात इसमें है क्योंकि जहां पर राजनीतिक आरक्षण होने के बाद भी आर्टिकल 335 में जो सर्विसेज़ के लिए रिज़र्वेशन होता था उसके लिए आज अनेक प्रकार के खतरे पैदा हो गए हैं।

इन रिज़र्वेशन के पहले सुप्रीम-कोर्ट का जो ऐटीट्यूड होता था, एक प्रकार से उनकी रक्षा करने के लिए और उनको चलाए रखने के लिए सुप्रीम-कोर्ट बहुत अहम भूमिका निभाया करती थी और अनेक जजों ने इस बारे में हिस्टॉरिकल जजमेंट दिए हैं जो एक लैंडमार्क है और उन्होंने उन जजमेंट्स के जरिए रिज़र्वेशन के महत्व और रिज़र्वेशन की अहमियत को बनाए रखा है। इधर पिछले कुछ सालों से यह देखा जा रहा है कि जुडिशियरी ने अपना मन बना लिया है कि अब रिज़र्वेशन को ज्यादा दिन लागू नहीं रखना चाहिए और इस प्रकार का मन बनाकर उन्होंने रिज़र्वेशन के खिलाफ अनेक जजमेंट दिए हैं।

महोदय, मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों सर्विसेज़ के अंदर रिज़र्वेशन था। श्री हनुमंतप्पा जी ने इंदिरा साहनी के केस का जिक्र किया। यह बात सही है कि मंडल कमीशन पर जब सुप्रीम-कोर्ट ने विचार किया तो उस समय शैड्यूल्ड कास्ट्स को दिया जाने वाला रिज़र्वेशन कहीं पर भी चर्चा में नहीं था और न ही किसी शैड्यूल्ड कास्ट्स की किसी आर्गनाईजेशन को या शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को वहां बुलाया गया इन बातों पर अपने प्वाइंट्स रखने के लिए या अपने आपको रिप्रैजेंट करने के लिए। शैड्यूल्ड कास्ट्स को दिए जाने वाले रिज़र्वेशन को समाप्त करने की दिशा में इंदिरा साहनी केस का जजमेंट आया और विशेषकर यह प्रमोशन के ताल्लुक से आया। इसको ध्यान में रखकर पिछले दिनों संसद ने एकमत होकर आर्टिकल 16(4) में संशोधन किया और उसमें आर्टिकल 16(4)(क) जोड़ा। आर्टिकिल 14(4)(क) उसमें एड करने के बाद प्रमोशन के अंदर आरक्षण देने की बात को संवैधानिकता प्राप्त हुई। संवैधानिकता देने के बाद यह अपेक्षा की जा रही थी कि जो नीति आरक्षण के बारे में इस देश में चल रही थी वह नीति यथावत् आगे चलेगी। लेकिन उसके बाद भी आज एक तरफ तो आर्टिकिल 16(4) (क) जो प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन को गारंटी देता है उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट आगे चलकर के बहस करने वाला है। लेकिन बहस शुरू होने से पहले एक प्रकार से उस आर्टिकिल को, उस प्रोविजन को बिल्कुल एकदम बेकार या निकम्मा बना दिया गया है यह कह कर के कि यह कोई फंडामेंटल राइट नहीं बनता, यह इकोनोमिक क्लास बनता है। और इस कारण से आगे जो भी बातें होंगी उसका एक संकेत इसमें से दिया गया। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां

पर एक तरफ राजनीतिक आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ सामाजिक स्थिति का क्या दौर है इसकी तरफ मेरे पूर्व वक्ता ने इशारा किया है और जहां सर्विसेज में आरक्षण दिया गया वहां पर भी धीरे-धीरे अनेक प्रकार की बाधाएं पैदा की जा रही हैं और इनको दूर करने की आवश्यकता है। सब लोग जानते हैं कि 1997 के दौरान गवर्नमेंट आफ इंडिया ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनिल ने पांच आफिस मेमोरंडम निकाले थे। एक आफिस मेमोरंडम 30 जनवरी, 1979 को निकाला गया। इसमें जो सीनियोरिटी एस०सी०, एस०टी० आफिसर्स की होती थी उसको घटा दिया। दूसरा ओ०एम० 2 जुलाई, 1997 का था जिसके अंदर रोस्टर में परिवर्तन किया गया। तीसरा ओ०एम० 22 जुलाई, 1997 को निकाला जिसमें शैडयूल्ड कॉस्ट और शैडयूल्ड ट्राईब्स के लिए जो अलग-अलग रिलेक्सेशंस दिए जाते थे उन सब को लगभग समाप्त कर दिया गया। चौथा ओ०एम० 13 अगस्त, 1997 को निकला जिसमें यह कहा गया कि प्रमोशन के अंदर ग्रुप-ए में जो लोअस्ट रैंक होता है वहीं तक प्रमोशन होगी और उसके आगे प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा। पांचवां ओ०एम० 29-7-98 को यह निकला जिसमें स्पेशल रिक्रूटमेंट जो होता है उसको समाप्त करने के लिए था। पिछली बार प्रधान मंत्री जी ने संसद में यह बात कही थी कि सरकार इस विषय पर, ओपन माइंडेड है, सरकार इसको ठीक करना चाहती है और यह इंश्योर करना चाहती है कि जो रिजर्वेशन दिए गए हैं उन रिजर्वेशंस को यथावत् चलते रहने देना चाहिए, उसके प्रति सरकार की कटिबद्धता है और उन्होंने यह भी कहा था कि इसके लिए आवश्यक जो भी कानूनी और संवैधानिक परिर्वतन या संशोधन लाने की आवश्यकता होगी, कानून बनाने की आवश्यकता होगी इसकी तरफ भी प्रधान मंत्री जी ने कहा था। लेकिन बाद में लोक सभा भंग हो गई और चुनाव हुए। मुझे खुशी है कि चुनाव के दौरान नेशनल डेमोक्रेटिक एलाएंस ने इसी बात को दोबारा दोहराया है। नेशनल डेमोक्रेटिक एलाएंस ने जो एजेंडा एडॉप्ट किया है उसमें साफ तौर पर यह लिखा है:

> "The interest of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes will be adequately safeguarded by appropriate legal, executive and societal efforts and by large scale education and empowerment. We will provided legal protection to the existing percentage of reservation in Government employment and educational institutions at the Centre and the State levels."

इस प्रकार से नेशनल एजेंडा ने इस बात का ज़िक्र किया और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वाजपेयी जी ने जो इस बार मंत्रिमंडल बनाया पंद्रह दिन पहले, इसमें जहां कुल मिलाकर 70 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या है वहां पर 11 शेडयूल्ड कास्ट एवं शेडयूल्ड ट्राइब्स के हैं जो पहली बार आजादी के बाद इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन सरकार में दिया गया है। शायद ही इससे पहले इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन हुआ हो। और एक बात हुई है कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए अलग एक केबिनेट स्तर का मंत्रालय बनाया गया है और केबिनेट स्तर का मंत्री उसमें नियुक्त किया गया है। इससे बिलकुल साफ होता है कि सरकार इस विषय में इस मामले को ठीक करना चाहती है। जिन ऑफिस मेमोरेंडम्स के कारण शेडयूल्ड कास्ट एवं शेडयूल्ड ट्राइब्स के आरक्षण समाप्त होते दिखाई दे रहे हैं, उसको सरकार ठीक करना चाहती है लेकिन दिक्कत यह पैदा हो रही है उपसभाध्यक्ष जी कि जिस इंदिरा साहनी केस का जिक्र हो रहा है, जितने भी

ओ॰एम॰ निकले हैं और उसके बाद जो जजमेंट आए हैं, उस केस में से ही बार-बार कोटेशन्स दे करके, उसी में से उद्धत करके यह बात कही जा रही है और प्रमोशन्स के अंदर बाकी रिजर्वेशन्स जो हैं, उनको रोकने की बात चल रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस मामले में सारे लोग, क्योंकि सदन इससे पहले भी एक बार इस विषय पर चर्चा कर चुका है, दूसरे सदन में भी चर्चा हो चुकी है, आज सरकार इस विषय पर ओपन माइंडेड है। सरकार चाहती है कि इसमें से कोई न कोई सॉल्यूशन निकले और इसलिए मैं सभी से अपील करूंगा, सब दलों से अपील करूंगा कि सब मिलकर बैठें और जो बातें इंदिरा साहनी केस में कही गईं, जो आगे चलकर इन रिजर्वेशन्स को रोकने में काम आ रही हैं, उनको कैसे लांघा जाए, उन्हें कैसे दूर किया जाए और जब तक हम उन्हें दूर नहीं करेंगे तब तक निश्चित रूप से जो हम चाहते हैं, वह न्याय नहीं मिल सकता है। यह बात ठीक है,यह बात हो सकती है कि पचास साल हो गए इस रिजर्वेशन को अमल करते हुए और कुछ ही क्लास के लोग और कुछ ही लोग इसका फायदा उठा रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज तक जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं सरकार की तरफ से, जिन्होंने भी दिए हैं, उनमें से कभी भी यह चित्र उभरकर नहीं आता कि जो रिजर्वेशन हमने दिए हैं, उनको सौ प्रतिशत लागू किया गया है। किसी भी साल में लागू नहीं किया गया और इसलिए हमेशा बैकलॉग बना रहा। हमेशा परसेंटेज लो रही। इसलिए यह आवश्यक है कि अगर स्थिति इस प्रकार की है तो फिर कर्टेल करने की बात या फिर कुछ लोगों को रोकने की बात कहां से पैदा होती है? कोई ऐसा पांच साल का दौर न चले या दस साल का दौर ऐसा हो जहां पर रिजर्वेशन पूरी तरह से इंप्लिमेंट करने के बाद अगर इस विषय पर विचार होता है कि किसको हटाया जाए, किसको रोका जाए, इस पर निश्चित रूप से विचार हो सकता है। शेडयूल्ड कास्ट के लोग जानते हैं, अभी हनुमनतप्पा जी ने कहा कि यह रिजर्वेशन हमेशा बना रहे, यह कोई भी नहीं चाहता। समाज में हम भी लोगों से मिलते हैं, कोई भी यह नहीं चाहता। आज से पचास साल पहले अनटचेबिलिटी एक स्टिग्मा होती थी लेकिन आज रिजर्वेशन एक स्टिग्मा बन कर चल रहा है। इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। कोई नहीं चाहता लेकिन न्याय तो मिले। न्याय मिलने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस विषय पर खुले मन से सोचने के लिए तैयार है, खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है। मैं सब से विनती करूंगा कि इस पर हम सब मिल कर एक सॉल्यूशन लाएं जिस प्रकार का मंत्री जी ने कहा है कि तीन दिन का वे कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, उसमें भी यह निश्चित रूप से विचार हो। जहां सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से पिछले पचास साल में क्या हुआ, इस पर विचार होना है, वहां पर यह भी विचार हो कि जो एटीटयूड आज कोर्ट ले रहे हैं, इसमें किस प्रकार से समाज को राहत दिलाई जा सकती है, इस पर भी विचार होना आवश्यक है। यही बात कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करना हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): May I have the sense of the House? We are now fast approaching the recess hour. This is Constitutional (Amendment) Bill. We require 50 per cent of the strength of the House and two-thirds present and voting to pass this Bill. Now, can we have the voting at 4.00 P.M.? It might mean a little curtailing of the addresses by the Hon. Members. But it is advisable that we have the voting, at least, at 4 o'clock. We are already short of time. There is no doubt that each and every Member of this House does desire that this Bill should be passed without any further delay. So, can we do that at 4 o'clock? Accordingly, we will have to curtail the speeches. May be, I have the sense of the House? (*Interruptions*)

It will be difficult. Then we have got other Bills, we may have to sit late.

SHRI RAM JETHMALANI: The Business Advisory Committee has allowed us four hours. We started at 11.30 a.m. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): We started at 12 o'clock, so it comes to 5 o'clock. Since there is no doubt or any divergence of opinion....(*Interruptions*).

SHRI RAM JETHMALANI: Why can't we skip the lunch? (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Voting will also be ... (*Interruptions*)

SHRI RAM JETHMALANI: Why can't we skip the lunch? Let us take it up a little early. Maybe, I am being a little selfish because I don't take lunch. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Well, we may forego the lunch. (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): The time for voting can be fixed at 4 o'clock. Let us take the sense of the House about lunch or no lunch. (*Interruptions*) Many Members may want to go for lunch. (*Interruptions*) What can I say? (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please. Four hours will be inclusive of voting also. So, let us stick to 4.00 p.m. for the voting. Those who want to go out can go and come back. I will not advise anybody to follow Mr. Jethmalani. Now, the next speaker is Mrs. Sarla Maheshwari.

SHRIMATI SARLA MAHESHWARI(West Bengal): Sir, first take the sense of the House; then I will start. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): You have got 14 minutes.

SHRIMATI SARLA MAHESHWARI: We can start after lunch.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please continue.

**श्रीमती सरला महेश्वरी:** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं 84वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। महोदय, जब मैं इस विधेयक पर चर्चा के लिए खड़ी हुई हूं तो इस समय मुझे इस सहस्रशताब्दी के सबसे महानतम चिंतक कॉर्ल मार्क्स का स्मरण आता है। जिन कॉर्ल मार्क्स की विचारधारा को लेकर हम अभी कुछ देर पहले विवाद कर रहे थे, महोदय वे चिन्तक थे। उन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा था कि दुनिया की व्याख्या करना आसान है, जगत की व्याख्या करना आसान है लेकिन सबसे मुश्किल काम दुनिया को बदलने का है। हमारे संविधान-निर्माताओं ने, हमारे राष्ट्र के नेताओं ने जब इस काम को करने की कोशिश की तो वे लोग जो सदियों से दलित, पीड़ित, शोषित और अमानुषिक शोषण का शिकार थे उनको शोषण से बचाने के लिए, मानवीय गरिमा देने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। वैसे यह आरक्षण की प्रक्रिया अंग्रेजों के समय से ही शुरू हो गई थी लेकिन आरक्षण का यह प्रावधान हमने अंग्रेजों से नहीं सीखा था बल्कि यह हमारी आजादी के आन्दोलन की विरासत थी। हमने अपनी आजादी के संघर्ष के दौरान यह सीखा था। अंग्रेजों ने अपनी विभाजनकारी नीति के चलते जो मुसलमानों के लिए अलग से मतदान की व्यवस्था बनाई थी उसी तरह दलितों के लिए भी यह व्यवस्था लागू की जाए। हमारी आजादी के आन्दोलन के नेता विशेषकर महात्मा गांधी ने इस खतरे को समझा और हमारे संविधान के निर्माण में अहम भूमिका अदा करने वाले डॉ अम्बेडकर साहब ने भी इसको समझा और इन दोनों के बीच में बातचीत हुई, एक सहमति बनी और ऐतिहासिक पूना एक्ट हुआ। महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे आजादी के आंदोलन के उन नेताओं ने यह जो रास्ता अपनाया था, यह रास्ता दुनिया के जनतंत्रों के इतिहास में एक नया रास्ता था, अनट्रेवल्ड पाथ था जिस पर आज तक कोई चला नहीं था। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमने यह रास्ता हिंदुस्तान की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार, अपने अनुभवों की रोशनी से सीखा था। महोदय, संविधान की ये धाराएं हैं 330, 332, 334, जिनके जरिये हमारे संविधान में आरक्षण को एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में अपनाया गया था, हालांकि महोदय, उस समय भी डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात पर आशंका जाहिर की थी कि क्या यह दस वर्ष का समय काफी रहेगा लेकिन वह एक क्रांतिकारी जोश था, उत्साह था हमारे नेताओं में और उन्होंने सोचा था कि हम समाज को बदलने का यह काम आगामी दस वर्षों में ही सम्पन्न कर डालेंगे। किंतु उपाध्यक्ष महोदय, हमारा अनुभव क्या बताता है कि दस वर्ष नहीं पचास वर्ष गुजर चुके हैं और पचास वर्षों के बाद आज फिर हम इस मियाद को और दस वर्षों के लिए बढ़ा रहे हैं। जाहिर है कि इसके पीछे एक सर्वसम्मति भी है और उस सर्वसम्मति के पीछे हमारा सामाजिक यथार्थ भी है, उस सामाजिक यथार्थ का हमारा अनुभव है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि इन पचास वर्षों के हमारे अनुभवों ने हमें सिखाया है कि आजादी के आंदोलन के बाद जो ये तमाम घोषणाएं की गई थीं कि जमीन जोतने वाले को मिलेगी, भूमि सुधार किया जाएगा और हमारे देश के गरीब किसानों के मन में यह आशा उठी थी, इस आशा का संचार हुआ था कि हमें अपनी जमीन मिलेगी, हम भी अपनी जमीन के मालिक होंगे लेकिन आजादी के बाद उनकी वे तमाम आशाएं, उनके वे तमाम सपने चकनाचूर हो गए, ऐसा क्यों हुआ? आज जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं जो यह सवाल उठता है कि आखिर वे तमाम हमारे

देश की गरीब आवाम की आशाएं पूरी क्यों नहीं हुई? हमारी आजादी के आंदोलन के नेताओं ने जो सपने देखे थे वे सपने क्यों पूरे नहीं हुए? इस प्रश्न की जड़ में जब हम जाते हैं तो हमारे सामने आज का सामाजिक यथार्थ आता है और वह सामाजिक यथार्थ यह है कि आजादी के बाद हमारे जिस शासक वर्ग ने सत्ता संभाली उसने जमींदारों के साथ टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, उसने जमींदारों के साथ सहयोग का रास्ता अपनाया और पूंजीपति वर्ग की, सामंती वर्ग की इस गठजोड़ की ताकत ने हमारे देश में शक्ति संतुलन को जो सामाजिक संतुलन को गरीबों के पक्ष में नहीं मोड़ा और उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो सामाजिक यथार्थ है, आज भी किस तरह हमारे गांवों में जमींदारों का वर्चस्व बना हुआ है। सामंती व्यवस्था जो उत्पीड़न के मूल में है। उस सामंती व्यवस्था के नागपाश से आज भी हमारे दलित, शोषित, पीड़ित उबर नहीं पाए हैं। मैं आपको आंकड़ों की रोशनी में इस सच्चाई को दिखाना चाहूंगी कि आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़ों की सच्चाई में कि 1994-95 की ग्रामीण विकास मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट हवाला देना चाहूंगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी भी गांव में कृषि के लिए उपलब्ध 71 फीसदी जमीन पर जनसंख्या के 23.8 फीसदी लोगों का कब्जा है। अभी भी कृषि के लिए उपलब्ध 71 फीसदी भूमि पर 23.8 फीसदी लोगों की मिल्कीयत है। 76 फीसदी लोगों के पास सिर्फ 29 फीसदी जमीन है। देश के कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में भूमि सुधार छलावा भर बनकर रह गया है। गांवों में शक्तियों का संतुलन जस का तस बना हुआ है, यह उस रिपोर्ट का कोड है। इसी तरह महोदय, आठवीं, पंचवर्षीय योजना 1990—95 के दौरान अनुसूचित जातियों के विकास और कल्याण से संबंधित कार्यकारी दल की रिपोर्ट का हवाला देना चाहूंगी। इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट में कहा गया है कि यद्यपि बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया है लेकिन अन्य बातों के बारे में विधान को बनाने में देरी के परिणामस्वरूप मूल संकल्प विफल हुए हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि काश्तकारी कानून से पश्चिम बंगाल जैसे एक या दो राज्यों को छोड़कर अलग से लक्षित वर्गों को अपेक्षा के अनुसार सुरक्षा नहीं मिली है क्योंकि अधिकतर क्षेत्रों में जहां कृषि का अधिकार प्राप्त है वहां रिकार्ड रखने की प्रथा नहीं है। जहां ऐसा अधिकार रखा गया है वहां भी भूस्वामियों ने बहुत हद तक व्यक्तिगत कृषि कानून के बहाने कानून की सहायता से काश्तकारों से पीछा छुड़ा लिया, यही आज की हकीकत है। मैं इसी तरह की रिपोर्ट के हवाले से हमारे आज के ग्रामीण यथार्थ को रखना चाहूंगी और मंत्री महोदय की नजर में लाना चाहूंगी कि क्रूर वास्तविकता क्या है? जब तक आप इस जमीनी हकीकत को नहीं समझेंगे, आप कानून बना लीजिए लेकिन सही मायने में दलित, पीड़त लोगों को उनका सामाजिक न्याय नहीं दिला पाएंगे। महोदय, इस रिपोर्ट में भूमि अधिकार सीमा कार्यान्वयन के बारे में कहा गया है, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कोड कृषि भूमि की सीमा बंधी पूर्णतः विफल रही है। जहां 3 करोड़ हेक्टेयर अधिशेष भूमि उपलब्ध होने का अनुमान था वहां अभी तक केवल 70 लाख एकड़ से कुछ अधिक भूमि ही अधिशेष घोषित की गई है। इसमें भी 45 लाख एकड़ भूमि 40 लाख लाभार्थियों में वितरित की गई है। भूमि सीमा का कार्यान्वयन न्यायालयों के हस्तक्षेप से बहुत हद तक विफल हुआ है। 1961 से 1991 तक की चार जनगणनाओं की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक जनगणना रिपोर्ट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तबकों में किसानों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और खेतिहर मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैं उल्लेख करना चाहूंगी 1961 की जनगणना की जनसंख्या रिपोर्ट में अनुसूचित जाति के किसानों की संख्या 35.76 प्रतिशत थी, वह 1991 तक आते-आते घटकर सिर्फ 25.44 प्रतिशत हो गई जबकि 1961 में अनुसूचित जाति में खेतिहर मजदूरों की

संख्या 34.48 प्रतिशत थी जो 1991 में बढ़कर 49.06 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के मामले में भी आंकड़े देना चाहूंगी। 1961 में किसानों की संख्या 68.18 प्रतिशत थी जो 1991 तक घटकर 54.50 प्रतिशत रह गई जबकि खेतिहर मजदूरों की संख्या 1961 के 19.71 से घटकर 1991 में 32.69 प्रतिशत हो गई। महोदय, इन जनगणना रिपोर्टों से जाहिर होने वाले तथ्य ये बताते हैं कि आजादी के बाद इन तमाम वर्षों में हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के जीवन स्तर में लगातार गिरावट आती जा रही है। महोदय, यह सवाल हम लोगों के सामने उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ तो आरक्षण की व्यवस्था जारी रहती है लेकिन दूसरी तरफ आरक्षण की यह व्यवस्था हमारे गांवों में शक्ति संतुलन में कोई बदलाव नहीं लाई उल्टे और उनके विरुद्ध जाती है हमारे हनुमन्तप्पा जी बोल रहे थे, मैं भी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्टों को पढ़ रही थी उसके बाद सरकार की रिपोर्ट भी पढ़ी किंतु आश्चर्य की बात यह है कि इन तमाम अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के मूल में कौन-सा सबसे बड़ा कारण था। सबसे बड़ा कारण भूमि का कारण है। 75 फीसदी से अधिक मामले भूमि से जुड़े हुए हैं और आज भी वह भूमि हम अनुसूचित जाति और जनजातियों में नहीं दे पाये हैं। अगर आप सामाजिक शक्ति संतुलन में बदलाव नहीं करेंगे तो आप आरक्षण से सिर्फ लोगों का भला नहीं करेंगे। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि कि आज वास्तव में हमारे समाज का जो यथार्थ है, आज यह सच है कि दलितों में जागरुकता पैदा हो रही है, उनकी चेतना बढ़ रही है लेकिन इसके बावजूद यह भी सच है कि हमारे इन उभरते हुए दलित लोगों की चेतना सिर्फ जातिवादी चेतना तक मौजूद रहे, सीमित रहे इसको किया जा रहा है। दलितों की जागरुकता, जनवादी चेतना व्यापक जातिवादी आंदोलन का हिस्सा न बन पाए इसमें शासक वर्ग अपने हित को देखता है।

यही कारण है कि आज जातिवादी राजनीति का उदय हो रहा है। इस जातिवादी वोट बैंक की राजनीति ने हमारे देश के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शोषित पीड़ित, दलित लोगों के हितों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। महोदय, आज हम क्या देख रहे हैं। चुनावों की घोषणा हो रही है और चुनाव की घोषणा से पहले अमुक जातियों को आरक्षण देने की मांग उठाई जा रही है ताकि उनके वोटों पर घात लगाई जा सके। तो यह जो वोट की राजनीति है, यह जो जातिवादी राजनीति है, जो सामाजिक नारे से निकली है वह एक बड़े वोट बैंक की राजनीति में तब्दील होता जा रहा है। आरक्षण के अंदर जिस तरह से निहित स्वार्थ पैदा हो गए हैं और जिस तरह से आरक्षण एक परिवार की निजी जागीर बन गई है उससे समाज के शोषित, पीड़ित लोग आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो इससे सीधा सवाल उठता है कि आखिर यह क्यों हुआ? जब हम इस प्रश्न का उत्तर मांगेंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस व्यवस्था में कुछ राज्य हैं, वामपंथी शासित राज्य जिन्होंने यह करके दिखाया है कि अगर वास्तव में आप शोषित, पीड़ित जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं, अगर समाज के सबसे निचले तबके के प्रति आप प्रतिबद्ध हैं, अगर वास्तव में आप उनके लिए काम करना चाहते हैं, तो आप उनको सामाजिक न्याय दिला सकते हैं। महोदय, पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा, विशेषकर पश्चिम बंगाल जिसके बारे में सरकारी रिपोर्टों में भी जिक्र किया गया है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा जमीन शोषित, पीड़ित और दलित लोगों के हक में बांटी है, उनको जमीन का पट्टा दिलाया है। इसकी वजह से जहां पूरे देश मे गांवों की वृद्धि दर 2.4 प्रतिशत पिछले 18 वर्षों में रही वहां पश्चिम बंगाल में वृद्धि दर 4.6 प्रतिशत हो गयी। पूरे हिन्दुस्तान में जहां हमारे दलित, शोषित और पीड़ित किसान अपनी जमीन को

छोड़कर खेत मजदूर बनते जा रहे हैं वहां पश्चिम बंगाल के मामले में ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल के किसान अपनी जमीन के मालिक हैं और उनको यह अधिकार सुरक्षित है। यही कारण है कि उसका उत्पादन बढ़ रहा है। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले पांच वर्षों में जो अध्ययन हमारे सामने आए हैं वे अध्ययन क्या बताते हैं? उन अध्ययनों से यह पता चलता है कि पूरे भारत में पिछले पांच वर्षों के काल में, जहां अन्य राज्यों में गांवों की गरीबी बढ़ती रही वहीं पर पश्चिम बंगाल के गांवों में-गरीबों का जीवनस्तर स्थायी रहा। अगर आप उनके जीवन में सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं, उन्हें सामाजिक उत्पीड़न से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए सर्वप्रथम उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए। आर्थिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार-स्तंभ है। महोदय, हमारे तमाम सदस्य इस बात से वाकिफ होंगे और वे इस बात से सहमत होंगे, अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों के आंकड़े देखें तो पश्चिम बंगाल में आपको ये बिल्कुल कम मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे। केरल में देखिए त्रिपुरा में देखिए लगभग यही स्थिति है। अगर आप सबसे गरीब तबके को, दलित लोगों को आर्थिक सुरक्षा देंगे तो निश्चितरूप से उसको आप सामाजिक सुरक्षा भी देंगे। महोदय, यह मेरी मैडन स्पीच है, यह मेरी पहली स्पीच है, इसलिए मैं आप से थोड़ा और समय लेना चाहती हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I have no objection but you must understand that there is constraint of time. We want to pass this Bill if we really believe in it.

**श्रीमती सरला माहेश्वरी:** मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि यह जो संविधान संशोधन हम कर रहे हैं इसका मैं समर्थन करती हूं। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगी और मार्क्स के सबसे प्रिय कवि दांते की कविता की एक पंक्ति मुझे यहां याद आ रही है कि नरक का रास्त नेक इरादों से पटा होता है। हमारे जेठमलानी जी ने अपने नेक इरादे को स्पष्ट किया कि हमें और मियाद बढ़ाने की जरूरत न पड़े। लेकिन महोदय, हमारा अनुभव तल्ख अनुभव है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपकी सरकार अपने एजेंडे में भूमिसुधार की बात नहीं करती है तो आप किस तरह से दलितों को न्याय दिलायेंगे। आपके पूरे एजेंडे में कहीं भी भूमि सुधार की बात नहीं कही गई है और जब तक आप भूमि सुधार की बात नहीं करेंगे, खेत मजदूरों के लिए कानून नहीं बनायेंगे, उनके लिए न्यूनतम वेतन गांरटी नहीं देंगे तब तक आप कभी भी गांवों में सामाजिक बदलाव नहीं ला पायेंगे। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आप पश्चिम बंगाल के अनुभव से सीखिए। भूमि सुधार के बिना कोई भी सामाजिक बदलाव हमारे देश में आने वाला नहीं है। लेकिन हमारी सरकार तमाम भूमि हदबंदी कानूनों को खत्म करने जा रही है। जिस तरह से तमाम मल्टीनेशनल कम्पनीज़ के हाथों में गांवों की ज़मीन देने की कोशिशें की जा रही हैं वह निश्चित रूप में आने वाले समय में हमारे गांवों के किसानों के जीवन में बदहाली लाएगी। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए भी यह कहना चाहूंगी कि हमारी पूंजीवादी व्यवस्था सही मायनों में हमारे गरीबों को कितना न्याय दिला पाएगी? मुक्तिबोध की कविता की पंक्तियों में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि पूंजी से जुड़ा समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता। आइये, हम संकल्प लें कि हम इस सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए, शोषितों, दलितों और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूंजी की इजारेदारी को खत्म करेंगे, गरीबों के पक्ष में शक्ति संतुलन को बदलेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHIARMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Miss Saroj Khaparde. Unfortunately, you have only eight minutes. Anyway, you have been known for a very precise, corcise and yet lucid presentation.

**कुमारी सरोज खापर्डे** (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने समय की तरफ इशारा किया हुआ है, मेरा प्रयास होगा कि मैं अपने समय की सीमा के भीतर ही अपने विचारों को सदन के सामने रखूं। आज सदन के सामने जो 84वां संविधान संशोधन विधेयक आया है, यह बिल एक औपचारिकता है और एक रुटीन तरीका है इस प्रकार के बिल सदन के सामने लाने का और इसके ऊपर चर्चा करके पास करने का। यह विधेयक अपने आप में इस बात का संकेत देता है, सिर्फ संकेत ही नहीं देता है इस बात को व्यक्त करता है कि इस देश में 30 करोड़ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ जो वायदे संविधान के माध्यम से हमने किये थे, वे वायदे आजादी के 50 साल होने के बावजूद भी पूरे नहीं हुए हैं। उनकी जो परिस्थिति है, उस समाज की जो परिस्थिति है आज भी उनकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालत को देखने के बाद हमें काफी दुख होता है। उनकी हालत में मुझे नहीं लगता है कि 50 वर्षों में कोई परिवर्तन हुआ है। मेरे साथी श्री हनुमनथप्पा जी ने और अभी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री बने मेरे दूसरे साथी बंगारु लक्ष्मण जी ने अपने बयान में बहुत अच्छी तरह से उसका उल्लेख किया था। मैं उसका उल्लेख यहां नहीं करना चाहूंगी क्योंकि इतना शोषण होता है समाज में दलित और हमारे शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों का कि उसकी जानकारी आप सब को अच्छी तरह से है। महोदय, इस संविधान संशोधन विधेयक में केवल एक ही लाइन का संशोधन तो है और उसको ध्यान में रखते हुए साधारण तौर पर ऐसा पढ़ने से लगता है कि इसमें कहने लायक कुछ है ही नहीं लेकिन इसमें बहुत कुछ बातें कहने लायक हैं। ऐसा मैं मानती हूं। इस शताब्दी के अंत में हम इस विधेयक को पास करने के लिए आज यहां बैठे हुए हैं। महोदय, बंगारु लक्ष्मण जी ने भी इसका उल्लेख किया था और हनुमनथप्पा जी ने भी इसका उल्लेख किया था कि जो 5 आफिस मेमोरेंडम भारत सरकार की ओर से जारी कर के हमारी आरक्षण नीति की जो जड़ें हैं...... वे जड़े पूरे तरीके से काट दी हैं, ऐसा मैं मानती हूं। उन सबको हम वापस करेंगे लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ।

महोदय, आपको याद होगा। आप भी कायदे कानून से काफी परिचित हैं। उस व्यवसाय में आपका आपना एक स्थान है। हम सब लोग, हम और इस देश की जनता, जब लोक सभा के चुनाव में व्यस्त थे तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दो ऐसे फैसले किए जो अत्यंत घातक हैं। मैं आज उन फैसलों पर यहां पर कुछ नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि मंत्री महोदय ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सारे देश की जनता को, सारे देश के इस विषय में अपना इंटरेस्ट रखने वाले विद्वानों को इस पर विचार करना चाहिए। वे तीन दिन की बहस के लिए तैयार हुए हैं। उसमें उनको आमंत्रित करेंगे। शायद उस समय कोई ऐसा मौका मिले तो हम अपने दुखों को, हम अपने विचारों को बहुत बड़े पैमाने पर उसमें रखकर उनको बताएंगे कि इससे हमें....**(व्यवधान)** और उसमें हम सिर्फ अपने विचारों को व्यक्त नहीं करेंगे लेकिन उसमें क्या साल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं उसका भी सलाह-मश्विरा हम उसमें देना चाहेंगे। आज यह वक्त नहीं है कि उसके ऊपर हम लोग कुछ कहें।

मुझे कहना बहुत था लेकिन समय की कमी होने की वजह से कुछ बातें कह नहीं पाऊंगी कि सन् 1997 में पहले राजीव गांधी ने आर्टिकिल 16(4)(क) को शामिल करके दलितों और आदिवासी लोगों

को उन्होंने आरक्षण दिया था। उससे भी पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने एस सी के लिए एक कंपोनेंट प्लान और एस टी के लिए ट्राइबल सब प्लान बनाया था लेकिन महोदय, दुर्भाग्य से उसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं सुनते हैं। उसके बारे में कोई जिक्र हम नहीं सुनते हैं। कांग्रेस की हुकूमत के बाद इन सारी चीजों पर लगता है कि हमने अनदेखी कर रखी है, करते जा रहे हैं। कोई भी मंत्रालय इस शिडयूल्ड ट्राइब के सब प्लान के ऊपर और एस सी के कंपोनेंट प्लान के ऊपर कोई तवज्जह देना नहीं चाहता है।

आपको याद होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम जो था उसमें 15 सूत्री कार्यक्रम केवल इसी लिए था—न कि केवल दलितों बल्कि आदिवासियों और देश के सरकारी कर्मचारी जो अन्य उद्योगों में हैं उनके लिए भी था कि उनको भी उसका हक मिलना चाहिए।

अभी आपको याद होगा। जानकर आपको दुख भी होगा। आप जानते भी हैं। आप ऐसे शहर से, राज्य से ताल्लकु रखते हैं जहां शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के बारे में किस तरीके से सलूक किया जाता है इसकी जानकारी आपको होगी। यह एक बड़ी लम्बी चर्चा हम लोग उसके ऊपर आरंभ कर सकते हैं लेकिन आज का जो समय है वह चर्चा आरंभ करके उस चर्चा को और जटिल बनाने का नहीं है।

माननीय मंत्री जी जो यह कांस्टीटयूशन अमेंडमेंट बिल सदन के समाने लाए हैं उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगी—क्योंकि मेरे अपने विचार भी इस बारे में बड़े ज्वलन्त हैं—कि आप अगर 10 साल का हम लोगों को एक रिजरवेशन का पीरियड देते जाएंगे तो इससे कोई शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स की समस्याएं हल नहीं होने जा रही है। मुझे याद आता है इस अवसर पर और मैं कहना चाहूंगी कि मांगने से भीख मिलती है, हक और अधिकारों के लिए लड़ाई की आवश्यकता होती है और हक और अधिकार के लिए लड़ाई की जो आवश्यकता होती हैं उसके बारे में जो हमारे अपने ज्वलन्त विचार है उन ज्वलन्त विचारों को हम आपके सामने रखेंगे जब हमको और हमारे साथ-साथ इस समाज के ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो हैं जो इस समाज के रिजरवेशन के बारे में जानते हैं, जानकारी रखते हैं—और अपने साल्यूशन भी सरकार के सामने रखना चाहेंगे—उनको आप निमंत्रित करेंगे तीन दिन की चर्चा में। उस समय हम आपके सामने उन विचारों को लाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Thank you. I am grateful to you for justifying my confidence about your Precision. May I now request Shri Solipeta Ramachandra Reddy?

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I rise to support this Constitution 84th Amendment Bill, 1999, on behalf of the Telugu Desam Party. Sir, this Bill pertains to the 25 per cent population of our brothers and sisters who are called the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They too were born in this great motherland along with us. We know that no one is born in a particular family of his own option. Sir, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been subjected to discrimination, and have been denied opportunities for centuries together. As

a result, they became backward economically, socially and politically. For the advancement and uplift of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, reservation was given in 1932 in all educational institutions and in employment. The reservation of seats for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliament and Assemblies was provided in the Constitution for 10 years only; up to 1960. This had been extended through the Constitution Amendment Acts of in 1960, 1969, 1989 and 1990. The Constitution Amendment Act of 1990 is expiring on 25th January, 2000. Sir, we could not bring the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the level of other sections of the society even after 52 years of Independence and eight Five-Year Plans. Now we will have to consider this positively. This is my submission.

Sir, so far as education of these people is concerned, I think, if it is not an unparliamentary word, I would say that we should be ashamed of it that even today, a lot of illiteracy is prevailing among the Scheduled Castes, particularly among the Scheduled Tribes even after crores and crores of rupees were spent to remove illiteracy among these people. Sir, not only that, so far as Government services are concerned, I believe, reservation for these people is being implemented effectively. But the private sector is not following these orders. They say that these orders don't apply to them. I would appeal to the Government, particularly, to the hon. Minister to think over it and see that these orders are also applied to these people. If they run industries or business with their own money, then, they are free to have people of their own choice, but if these industrial, houses and business houses are running with the help of Government funds, then they should follow these orders. I appeal to the hon. Minister that institutions like the IFCI, the ICICI, the IDBI, etc., should also follow the reservation orders.

Sir, Shri Hanumanthappa rightly said that even today, these people are kept isolated in many villages. Sir, colonies and houses are being constructed for these people at isolated places. They are not allowed to mingle with the villagers. Not only that, Sir, even today, they are not allowed to take drinking water from the wells of upper castes. In small villages also, the hotels keep separate glasses for the SCs and STs for taking water and tea. The glasses used by other sections of the society are not given to them. Even after 52 years of our Indepenence, and in spite of so many efforts by the Government, atrocities on these people are increasing. I am sorry to say that these atrocities are not decreasing. After the land reforms, whatever land is available with the Government, whatever land is already available with the Government, is still not being distributed among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in many places. With regard to housing, even today, crores of Scheduled Caste and Scheduled Tribe members are shelterless. This is the

position today. I feel that sincerity, honesty and dedication is lacking in its implementation. So, effective monitoring is required.

I fully agree with Hanumanthappaji when he said that there must be some attitudinal change in the society. Sir, I may be permitted to say something about what is going on in Andhra Pradesh towards uplifting the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Apart from the strict implementation of reservation in services and effective implementation of developmental and welfare programmes, our Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu, has taken special measures to uplift the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Andhra Pradesh Government has introduced new programmes such as Mundadagu, step forward, programme for the betterment of the Scheduled Castes and Chetana, that is awakening, programme for the uplift of the Scheduled Tribes, while allocating sufficient funds. This programme enhanced the opportunities for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Sir, there is an argument that there must be a level-playing field...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will your Chief Minister remove those cups meant only for the SCs/STs? (*Interruptions*)

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Yes, yes. Our Chief Minister has strictly instructed all the Superintendents of Police that wherever this is happening, stringent action must be taken against the persons.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Mr. Hanumanthappa, his cup of time is overflowing. Please do not disturb him.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Sir, some people put forth an argument that by this reservation, there will be no level-playing field for them. I want to submit that for a level-playing field, reservation is required. And, without the reservations, there cannot be any level-playing field for them in the country. Sir, some people say that reservation is a discrimination. Sir, we are only removing the discrimination which is there since ages. This reservation is no discrimination. Some people are talking about the impact on merit caused by reservation. They say that merit is affected when SCs and STs are considered. I want to submit to the House that private engineering colleges and medical colleges are producing doctors and engineers who are in no way better than SC/ST engineers or doctors. If this is raised, nobody opens his mouth. When the issue of SC/ST reservation comes, then they say, 'No, merit is affected.' Merit is an essential necessity, but this society should see to it that they are also made meritorious. Sir, finally, I would like to appeal to the Government to make all efforts to bring the SC/STs socially, politically, economically and educationally to the level of other sections of the society so that they do not need further reservation.

With these words, I conclude. Thank you.

**श्री चुन्नी लाल चौधरी** (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय विधि मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि नई सरकार बनने के 15 दिन के अंदर ही यह बिल आ गया। इसके लिए भी वह बधाई के पात्र हैं।

महोदय, यहां एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि 10 साल के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था शुरू में की गयी थी, लेकिन आज 50 साल के बाद भी आरक्षण की सुविधाएं अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों तक नहीं पहुंच पाईं, इस का क्या कारण है? महोदय, आजादी की लड़ाई के समय देश के लोगों में एक इच्छा शक्ति थी कि अंग्रेजों को भगाएंगे, क्या वह इच्छा शक्ति आज हम लोगों में है? अगर यह इच्छा शक्ति होती तो 50 साल का समय एक बहुत लंबा समय था जिसके अंदर इस आरक्षण नीति को पूरा कर दिया गया होता, तो कोटा पूरा हो गया होता। महोदय, मैं तो आरक्षण नीति को अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए एक बैसाखी समझता हूं। कितने दिनों तक यह देश अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को अपाहिज बनाए रखेगा, यह सोचने की बात है और बहुत गंभीर बात है। मैं बताना चाहता हूं कि हमको आरक्षण देकर किस तरह से जलील किया जाता है। मैं उत्तर प्रदेश का बताता हूं, वहां कहा जाता है कि यह सरकारी दामाद आ गया। यानी लोगों की ऐसी भावना है, मानसिकता है, जो एक गंभीर बात की ओर इशारा करती है। हम आज की सरकार से भी, आज के विधि मंत्री जी से भी, जैसा अभी इन्होंने अपने संबोधन में भी कहा, पूरी आशा रखते हैं कि इस आगे के दस साल के अंदर कोई ऐसा कानून लाया जाएगा, जिसमें कुछ सुनिश्चित किया जाएगा कि इस आरक्षण की जो सुविधाएं हैं वह दस साल के अंदर पूरी हो जाएं।

मान्यवर, आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो रिकार्ड है, उसके अनुसार हजारों करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा सारे देश में व्यय किया गया, लेकिन हमारी स्थिति जैसी पचास साल पहले थी वैसी ही रही, कोई तीन प्रतिशत इसमें से वृद्धि हुई। मैं यह चाहूंगा कि यह जो आरक्षण आपने कर दिया, इसका अनुपालन कैसे हो, आरक्षण का क्रियान्वयन कैसे हो, आरक्षण की हर साल समीक्षा कैसे हो, इसके बारे में कोई कानून नहीं है। मैं माननीय विधि मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि आप जो यह दस साल का कर रहे हैं उसके लिए तो आपको बधाई है, लेकिन जैसी आरक्षण की व्यवस्था 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और साढ़े सात प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए है, उसके तहत एक कानून यह भी बनना चाहिए कि जो व्यक्ति आरक्षण कोटे की पूर्ति नहीं करता, इफ और बट लगाकर उसको अलग कर देता है या जो संस्था इसकी पूर्ति नहीं करती उसके लिए उस कानून में दंडात्मक प्रावधान भी रखा जाए कि अगर कोटा पूरा नहीं होगा तो उसके खिलाफ यह किया जाएगा। कहीं न कहीं ऐसी चीज लाई जाए, जिसके द्वारा इसका अनुपालन हो।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में जो सामाजिक व्यवस्था विद्यमान है, उसमें मनुष्य और मनुष्य के बीच गैर-बराबरी बनी हुई है, जो आगे भी बनी रहेगी और जब तक यह गैर-बराबरी बनी रहेगी, दस साल नहीं, बीस साल नहीं, पचास साल भी लगें, यह आरक्षण की व्यवस्था आपको देनी पड़ेगी। जब तक यह वर्ग अन्य वर्गों के समकक्ष न आ जाएं तब तक यह व्यवस्था आपको जारी रखनी पड़ेगी। इसका भी ध्यान रखना चाहिए अन्यथा यह गैर-बराबरी जब तक मौजूद रहेगी तब तक यह आरक्षण व्यवस्था खत्म होने वाली नहीं है।

मान्यवर, मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस आरक्षण की नीति का सरकार की तरफ से, न्यायपालिका की तरफ से, नौकरशाही की तरफ से अधिकरण किया जा रहा है और करीब-करीब आरक्षण की जो सुविधाएं हैं उनको खत्म किया जा रहा है। यह एक गंभीर बात है। जनवरी, 1997 से अगस्त 1997 के दौरान, जैसा अभी माननीय बंगारू जी ने कहा , पांच ओ॰ एम॰ भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए, जिनके द्वारा एक-एक करके आरक्षण के सभी पहलुओं को खत्म किया जा रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी का मैं आभारी हूं, पिछली लोक सभा में उन्होंने आश्वस्त किया था कि इन ओ॰ एम॰ के बारे में हम कोशिश करेंगे, चाहे हमें कानून बनाना पड़े, संविधान में संशोधन लाना पड़े, इसको दूर करके अनुसूचित जाति के जो अधिकार हैं उनको बहाल किया जाएगा।

मान्यवर, मैं विधि मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि जितने हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के खिलाफ आए हैं, उनके ऊपर सामूहिक रूप से इस सदन में चर्चा कराई जाए और ऐसा कानून बनाया जाए कि आरक्षण का कोटा पूरा किया जाएगा और जो व्यक्ति या संस्था इसको पूरा नहीं करती उसको दंडित भी किया जाएगा। माननीय विधि मंत्री जी का ध्यान मैं संविधान के अनुच्छेद 338(क) की तरफ दिलाना चाहूंगा,......... जिसमें उल्लेख है कि कोई अथॉरिटी, भले ही वह सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न हो, जब तक आरक्षण नीति पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग के हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए। मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि इस आयोग को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाएं ताकि यह आयोग इस देश में इस नीति का अमल कराने में मदद कर सके। जिन ओ॰ एम्स॰ का मैंने जिक्र किया, उनकी तुरंत वापस लिया जाए और आरक्षण के अधिकार में किसी का हस्तक्षेप न हो, न्यायपालिका का भी हस्तक्षेप न हो और इसलिए इसे संविधान की 9वीं सूची में रखा जाए।

अभी माननीय विधि मंत्री जी ने दो-तीन दिन के सम्मेलन की बात कही है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं, हृदय से समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत अच्छी चीज़ होगी कि इस पर चर्चा हो और उस चर्चा से यह सामने आए कि कौन-कौन से परिवर्तन लाए जाएं, कानून कैसे बनाया जाए ताकि यह आरक्षण का जो अधिकार है यह गरीब लोगों तक, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों तक पहुंचे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

**उपसभाध्यक्ष (श्री अधिक शिरोडकर)**: श्रीमती कमला सिन्हा। आपके लिए 6 मिनट का समय है।

**श्रीमती कमला सिन्हा** (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगी। मैं 'संविधान (84वां संशोधन) बिल, 1999' का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है, दलित और आदिवासी वर्ग के लिए रिज़र्वेशन को, आरक्षण को और दस साल के लिए बढ़ाया जाए। संविधान में जब शुरू में इसका प्रावधान किया गया था, उस समय यह सोचा गया था कि दस बरस एक लम्बा समय है और दस बरस में दलित और आदिवासी वर्ग को समाज के अन्य वर्गों की तुलना में बराबर का दर्जा दिलाया जा सकेगा,

लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यह काम आज 50 साल में भी नहीं हो पाया और पता नहीं अभी और कितना समय लगेगा। कई कारण मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताए—भूमि समस्या के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, शिक्षा के बारे में—मैं उनको दोहराना नहीं चाहती क्योंकि प्रत्येक बात जो कही गई है वह सत्य है। मैं केवल् इतना ही कहना चाहती हूं कि आरक्षण उनको जरूर दें, आरक्षण देना ही चाहिए, उसके बगैर मैं यह मानती हूं कि आज जो 171 मैम्बर्स एस०सी०, एस०टी० के पार्लियामेंट में जीतकर आते हैं, अगर यह आरक्षण नहीं रहे तो उनमें से एक भी नहीं जीतकर आएगा क्योंकि किसी को सीट नहीं मिलेगी। यदि हम यह चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग का समान रूप से प्रतिनिधित्व हो संसद में और विधान मंडलों में तो यह आवश्यक है कि आरक्षण का प्रावधान रहे। इसके साथ ही साथ यह आवश्यक है कि देखा जाए कि समाज की मानसिकता को बदलने के लिए क्या करना आवश्यक होगा, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। आज हम इस सदी के अंत में हैं और अगर हमारी एक चौथाई आबादी इस स्थिति में रहे जिसको आज भी अस्पृश्य माना जाए, यह बहुत शर्म की बात है। पिछले चुनाव के दौरान एक मैग्ज़ीन में मैं पढ़ रही थी, एक चुनाव क्षेत्र का उल्लेख था उसमें और शायद वहां से श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थीं, इसलिए उसका उल्लेख किया गया था—विस्तृत विवरण था बैल्लारी का। उसमें कहा गया था कि शैट्टी नाम का कोई होटल है वहां पर, जहां बाहर प्याली रखी जाती है अस्पृश्य वर्ग के लिए और वहां जब वह चाय पीते हैं तो वह ऊपर से डाली जाती है और चाय पीने के बाद वह खुद उस प्याली को धोकर वहां रख देते हैं और दूसरे लोगों के लिए अंदर आकर बैठकर चाय पीने की इजाज़त थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ पढ़कर क्योंकि मैं तो गौतम बुद्ध के प्रान्त से आती हूं। हमारे प्रान्त में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, वहां कोई भी जाए, कोई किसी की जाति नहीं पूछता है और कम से कम खाने-पीने में, होटलों में तो इस तरह की बात नहीं है, शायद शादी-ब्याह में होती हो घरों में। आज भी छुआछूत इस कदर है कुछ प्रांतों में, यह पढ़कर मुझे बहुत ही हैरानी हुई। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज की मानसिकता में परिवर्तन किया जाए और उसके लिए मैं नहीं जानती कि फिर कब इस देश में गांधीजी जैसा कोई महान व्यक्ति पैदा होगा लेकिन साधारण लोगों के बीच में मानव प्रेम की चेतना जगाकर इस काम को किया जा सकता है।

महोदय, एक बात मैं इसके साथ-साथ और कहना चाहूंगी कि समाज में नाबराबरी को दूर करने के लिए एक क्रांति लानी होगी। समाज में एक तरफ तो एक-चौथाई आबादी शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राईब्ज़ की है, आदिवासी और दलित वर्ग की है और दूसरी तरफ आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं की एम्पावरमेंट के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करता। उनके साथ जो अन्याय होता है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। महिलाओं में कोई जात नहीं है, कोई विभेद नहीं है। वह चाहे जिस वर्ग से आती हो, जिस वर्ण से आती हो, उसके ऊपर अत्याचार एक ही कारण से होता है क्योंकि वह महिला है। मैं चाहूंगी कि इस विधेयक को पारित करने के बाद सरकार महिलाओं के ऐम्पावरमेंट के बारे में भी एक बिल लाए नहीं तो समाज में बराबरी लाने का जो सपना है, यह पूरा होने वाला नहीं है। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि निश्चित रूप से यह आरक्षण होना ही चाहिए और मैं नहीं मानती कि अगले 10 साल में हम इस नाबराबरी को दूर कर सकेंगे। जब 50 साल में हम इस नाबराबरी को दूर नहीं कर पाए तो अगले 10 साल में हम कर पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। इसलिए हनुमनतप्पा जी ने जो

दलील दी थी कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए, मैं उससे सहमत हूं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अभी आप इसको 10 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं और इस बिल का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

SHRI ONWARD L. NONGTDU (Meghalaya): Sir, first of all, I express my appreciation, particularly, to the Minister and to the Government, in general, for bringing up this Bill to amend Article 334 of the Constitution of India. It is true that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have made considerable progress during the last 50 years. But even after the lapse of 50 years, I would like to mention in this House, there are a few anti-democratic factors that influence the will and the mind of this poor section of the Indian society in the process of voting. First of all, I would like to mention here that the literacy rate among the tribals in the North-East is below 50 per cent till today. And you are aware of the fact that if a person is illiterate, his mind, his will can easily be influenced to vote either on this side, or on that side, and sometimes even against his own will.

Then, Sir, the monthly income of a family, consisting of six children, belonging to the Scheduled Tribes, or, the Scheduled Castes, in the rural areas, is assessed to be approximately Rs. 800/-. I do not think people living in Delhi can even think of feeding themselves and their six children with a sum of Rs. 800/- per month. Sir, as you are aware, money factor is playing perhpas the most important part in the process of election. I am told—I hope it may be a wrong information — that people in Northern India, especially Punjab, Haryana and Delhi, spent, during the last election, around Rupees 1 crore per Lok Sabha Constituency, whereas it would be impossible for a tribal candidate to spend even Rs. 25 lakhs for his election. That is why I say that this is a factor which has to be looked into very carefully because this factor itself has played havoc in most of the constituencies throughout the country. But Sir, this is a factor that plays a major part in the process of election in the tribal areas of the North-East, as well as in the rest of India.

In this connection, I would like to point out to the Minister that there are some advanced communities that have been able to enlist themselves — for reasons best known only to them — as 'Scheduled Tribes'. These communities are perhaps as advanced as any other communities in India and this has played a vital role in projecting the plight of the poor and the downtrodden among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Therefore, there is an urgent need to review the content of the list of tribal communities recognized under the Constitution and make necessary corrections therein.

The last thing that I would like to mention is about reservation. Sir, merely by way of this reservation, we will not be able to help the Scheduled Castes

and the Scheduled Tribes to come to a stage where they will be able on par with the rest of the people in India. But mentally, the advanced people of the country have to adjust themselves and their mentality has to change. I think it is high time the Government finds out ways and means to do so. Mr. Vice-Chairman, Sir, you may be aware of the fact that a lot of centrally sponsored schemes in the Scheduled Caste and Scheduled Tribe areas were not implemented on flimsy grounds because the officers from Delhi or from the State Capitals would not like to go to these backward areas. I would like to give you a specific example in this regard. Recently, there was a meeting of the Governing Body of the North-East Indira Gandhi Medical Sciences at Shillong, where we were told that super-specialists would not like to come and stay there. I think, nature-wise, Shillong is one of the best cities in the country. Yet it happens to be looked at as a Scheduled Tribe area by the people from the advanced areas. Super-specialists would not like to go to these backward areas. Mr. Vice-Chairman, Sir, I had an occasion to mention this in the Governing Body that if our Indian experts do not like to go there, how can we expect the foreign experts to come there? I may remind the House that the first oil exploration in India — perhaps, in Asia — was done in that area. Plantation of tea, which is one of the precious commodity in the world, was done there long time back, by top experts from Europe. But, Indian experts would not like to go and stay there and help these poor sections of the people. That is why I say legal reservations provision in the Constitution may not help these people to come up and stand along with other sections of the people in the country within the period of 10 years or more. I would appeal and urge upon the Government to find out ways and means on how the other advanced sections of the people in the country would adjust and appreciate the plight of these people and would come up to build their education and mentality so that these sections of the people would also live in peace, in harmony and feel that they are equal to the rest of the people in the country.

**श्री रामदेव भंडारी** (बिहार) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं अपनी ओर से और अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। महोदय, प्रत्येक दस वर्ष के बाद एक बार यह बिल सदन में आता है कि शेडयूल्ड कास्ट एवं शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए जो लोक सभा और विधान सभाओं में आरक्षण का प्रावधान है, उसको दस वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। महोदय, पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि जिस समय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया, ऐसा सोचा गया कि दस वर्ष के बाद इसकी आवश्यकता नहीं होगी मगर बावन वर्ष बीत गए, हमने आज़ादी का स्वर्ण जयन्ती वर्ष भी मनाया और इसके बाद भी हमें आरक्षण की आवश्यकता है, इस पर सोचने की जरूरत है। आखिर क्यों नहीं आरक्षण को, जिसका संविधान में प्रावधान है, उसके अनुसार लागू किया जाता है? कहां किस बात की कमी रह गई है? हमारी क्या मानसिकता है? हम नीति बनाते हैं, कानून बनाते हैं मगर पता नहीं हमारी नीयत क्या है? हम सिर्फ ऊपरी तौर पर ही शेडयूल्ड कास्ट एवं शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए

घड़ियाली आंसू बहाते हैं और जब उन्हें लागू करने की आवश्यकता होती है तो कहीं न कहीं लागू करने के बदले हम उन्हें रोकने की बात करते हैं। बंगारू लक्ष्मण जी बोल रहे थे बहुत खुले मन से, बहुत अच्छा लगा, अभी हैं नहीं हाऊस में। उन्होंने कहा कि पहले जब ज्यूडीशियरी में इस तरह की बातें जाती थीं आरक्षण के बारे में, तो ज्यूडीशियरी का प्रयास होता था कि जो लाभान्वित हैं, आरक्षण से उनकी सहायता की जाए मगर धीरे-धीरे यह परिवर्तन हो गया है कि ज्यूडीशियरी में आजकल इस संबंध में जो मामला जाता है, मैं कानून की बात नहीं जानता, मगर उसमें मदद के बदले विरोध का स्वर झलकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? न्यायपालिका में क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं? मेरे पास इसका छोटा सा जवाब है। मेरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में न्यायपालिका में आरक्षण का प्रावधान करने के लिए विधान सभा से पारित कराया था।

महोदय, इस देश में जो लोग हैं, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, वह कितनी बड़ी कुर्सी पर क्यों न चला जाए मगर कहीं न कहीं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं। वह जो मानसिकता है, वह जो बैकग्राउंड है, वह आड़े आता है और शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी अगर ज्यूडीशियरी में नहीं होगा, उनका दर्द, उनकी तकलीफ अगर उनको महसूस नहीं होगी तो उनकी जो मानसिकता है, उस मानसिकता को सामने रखते हुए ज्यूडीशियरी से हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वैसे जुडिशियरी में इस देश को विश्वास है और मुझे भी जुडिशियरी में विश्वास है। मगर जहां तक आरक्षण का सवाल है अभी यहां पर प्रमोशन में आरक्षण बन्द करने की बात हो रही थी, टेक्नीकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में नामांकन हेतु आरक्षण की सुविधाओं को खत्म करने की बात हो रही थी। इससे ऐसा लगता है कि हम धीरे-धीरे आरक्षण को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम दस वर्षों के लिए पार्लियामेंट और विधान सभाओं में आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि मंत्री महोदय को पता नहीं कितने वर्षों तक बार-बार दस वर्ष के बाद सदन में इस बिल को लाना पड़ेगा कि पुनः दस वर्ष के लिए इसे और बढ़ाओ।

महोदय, श्री बंगारू लक्ष्मण साहब कह रहे थे कि जब-जब आरक्षण की बात होती है तो बड़े पैमाने पर आन्दोलन हुए हैं। जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी मुख्य मंत्री थे उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग लागू करवाया था। उन्होंने राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। वहां पर शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बड़े पैमाने पर आन्दोलन हुए। इस प्रकार जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उस समय भी पूरे देश में हिंसात्मक आन्दोलन हुए, दर्जनों लोग आत्मदाह करके मर गये और आज श्री बंगारू लक्ष्मण जी कह रहे थे कि आज यह लागू है तो कहीं कोई आन्दोलन नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आन्दोलन कौन कर रहे थे? आज क्यों नहीं आन्दोलन हो रहे हैं? हम सभी जानते हैं कि वह आन्दोलन कौन करवा रहा था। अगर आप इसको लागू करते हैं तो आन्दोलन नहीं होता है और दूसरी पार्टी इसको लागू करती है तो आन्दोलन होते हैं? यह बिल्कुल साफ है कि रिजर्वेशन का श्रेय भी ये अपने ऊपर लेना चाहते हैं कि हमने रिजर्वेशन दिया है। मैं बंगारू जी से कहना चाहता हूं कि जो आरक्षण विरोधी मानसिकता के लोग हैं या जो नेता लोग हैं चाहे वे उनकी पार्टी में हों या दूसरे संगठनों में हों तो उनको रोकना पड़ेगा। जब आरक्षण का प्रावधान करते हैं तो उन्हें भी सहिष्णुतापूर्वक बर्दाश्त करना पड़ेगा और सहयोग देना पड़ेगा।

अभी भी करोड़ों दलित, शोषित और शैड्यूल्ड कास्ट व शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं जिनको उनकी नागरिकता के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है जो कि दूसरे लोगों को मिलते हैं। अभी भी उनके

पास रहने के लिए घर नहीं है, उनकी बस्तियों में पीने के लिए पानी नहीं है, स्कूल नहीं हैं। कवल राजनीतिक रूप से अगर हम एम०पी०, एम०एल०ए० या मिनिस्टर बना दें तो इससे उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उनकी कुछ बेसिक नीड्स हैं। अगर हम उनको मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं तो उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करना होगा। यहां टेक्नीकल एजुकेशन में आरक्षण को समाप्त करने की बात हो रही है तो उसे बहाल करना पड़ेगा। मैं शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स संसदीय कमेटी का सदस्य दो वर्ष तक रहा हूं। जहां भी वह कमेटी विजिट करने जाती थी तो पाती थी कि लम्बे-लम्बे बैकलॉग पड़े हुए हैं। हम उनसे पूछते थे तो जवाब होता था कि सुटेबल कंडीडेट्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सुटेबल कंडीडेट्स नहीं मिलते हैं, वे उनको अपॉइन्ट नहीं करना चाहते। अभी भी शासन में और सरकार में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इन लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाए। जो नागरिक सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं उन सुविधाओं को शैड्यूल कास्ट और शैड्यूल ट्राइब्स को दिया जाए। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार में लोग हैं, जो शासन में लोग हैं उनकी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। वे जो परिवर्तन में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें अपने आपको बदलना होगा और यदि नहीं बदलेंगे तो यह जो इतनी बड़ी आबादी है इस देश की वह आबादी बैठी नहीं रहेगी। उनमें जागरूकता आई है और वह आंदोलन खड़ा करेगी और तब आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

**उपसभाध्यक्ष (श्री अधिक शिरोडकर)**: धन्यवाद भण्डारी जी।

**श्री नागेन्द्र नाथ ओझा** (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से करता हूं। इसके लिए हम लोगों को बहुत अधिक जागरुक होने की जरूरत नहीं थी कि एक्सटेंशन नहीं मिलेगा दस वर्ष के लिए यह बिल्कुल स्वाभाविक था। और देश में कहीं कोई संदेह नहीं था कि यह नहीं होगा। क्योंकि हम पिछले वर्षों से इसे करते आ रहे हैं लेकिन मंत्री जी ने जो यह प्रस्तावित किया, यह आह्वान किया कि इसे लेकर एक कन्वेंशन हो कि दस वर्ष के अंदर रिजर्वेशन का लक्ष्य हम हासिल कर लें, इसके उपाय ढूंढ लें, कन्वेंशन किये जाएं, इस चिन्ता के साथ यह आह्वान उन्होंने किया। मैं इसका भी पुरजोर समर्थन करता हूं, यह होना चाहिए। लेकिन वह कन्वेंशन हो तो काफी रिप्रेजेंटेटिव से हो। जो सेक्शन बेनिफिशयरीज हैं उसका इन्वोल्वमेंट हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव का इन्वाल्वमेंट हो, जो ट्रेड यूनियन्स हैं, मास आर्गेनाइजेशन्स हैं, उनके जो कास्ट आर्गेनाइजेशन्स हैं, जो इसके लिए चिन्ता कर रहे हैं उनका भी इन्वोल्वमेंट ऐसे कन्वेंशन के लिए होनी चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उपाय ढूंढने के लिए इस देश में कसरत करने की जरूरत नहीं है। जो प्रोग्राम हमने दिए हैं कि कौन सा अपलिफ्ट का प्रोग्राम लेकर, उसे लागू करके हम यह स्थिति पैदा कर सकते हैं कि यह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग और बैकवर्ड क्लासस के लोग रिप्रेजेंटेशन के मामले में सामान्य स्तर पर, सामान्य ढंग से आ सकते हैं, यह उपाय हमारी पार्लियामेंट ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारे इकोनोमिस्ट्स ने, हमारे पोलिटिशियन्स ने किए और इसके लिए आपको तारीफ करने की जरूरत नहीं है कि दस वर्ष आपने बढ़ा दिए। इस अवसर पर चिन्ता करने की बात यह है कि लक्ष्य हासिल क्यों नहीं हुआ और सचमुच में यह काफी चिन्ता की बात है। मैं कुछ सुझाव दे सकता हूं जो कि अभी से आप देखिए, जांच-परख कीजिए। और भी स्थिति है। उसे मैं देखता हूं तो उस पर मुझे कोई भरोसा नहीं होता है कि दस वर्ष के अन्दर या पचास वर्ष के अंदर उनको सामान्य स्तर पर उनके रीप्रेजेंटेशन को लाने की स्थिति आप पैदा कर सकेंगे। जैसे आप ले लीजिए सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट में प्रावधान है कि छुआछूत के मामले में

राज्य के अंदर जो स्थिति है, वह तीन साल के अंदर एक रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर पेश की जाएगी। इस पर मैं अदब के साथ मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जरा इस तरफ भी कष्ट कीजिए कि कितने साल से सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है कि हर तीन वर्ष की रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल की जाएगी, यह रिपोर्ट कब से नहीं टेबल की गई है क्या ऐसा आप अश्योर करेंगे कि यह हो? जिस सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए संवैधानिक प्रावधान है उसे पार्लियामेंट के अंदर नहीं किया जा रहा है। हम किस तरह से भरोसा करेंगे? सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति को सुधारने की बात हम कर रहे हैं क्या आप बता सकते हैं कि जो विभिन्न राज्यों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के स्टूडेंट के लिए जो स्कोलरशिप का अमाउण्ट है, वह कितना है? उसमें एक महीने के अंदर क्या दस दिन भी अच्छे ढंग से वे होस्टल में नहीं रह सकते हैं। किस को चिंता नहीं है कि हम शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के स्टुडेंट्स के लिए स्कालरशिप बढ़ायें। उनके होस्टल्स की स्थिति क्या है? मुझे अपने इलाके का अनुभव है। मैं बिहार के बक्सर जिले से आता हूं। वहां पर एक आवासीय उच्च विद्यालय है। जो वहां पर कक्षाओं के कमरे हैं उनमें चूल्हा जलता है। आवासीय उच्च विद्यालय में बच्चों को खिलाने के लिए वहां पर चूल्हा जलता है। वहां पर न वे शाम को पढ़ सकते हैं और न सुबह को पढ़ सकते हैं। यह स्थिति वहां पर आवासीय उच्च विद्यालयों की है,। शैडयूल्ड कास्ट के बच्चों के लिए जो छात्रावास हैं उनकी स्थिति क्या है। मैंने एक जिले के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से आधे किलोमीटर की दूरी पर है वहां पर चौकी जो एक स्टुडेंट के सोने के लिए होती है उस पर तीन-चार स्टुडेंट सोते हैं। आप उनको चारपाई नहीं दे सकते, आप उनको बिछावन नहीं दे सकते। अगर आप उनको लाइब्रेरी की सुविधा, पत्र-पत्रिकाओं की सुविधा, टयूशन की सुविधा नहीं देंगे तो उन्हें क्या हासिल होगा? शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स बच्चे जो पहली कक्षा में नामांकन करते हैं, उपसभाध्यक्ष जी, हाई स्कूल में जाते-जाते 60 से 70 प्रतिशत तक ड्राप आउट उनका हो जाता है। जब आप इतनी मामूली सुविधायें देने की स्थिति में नहीं हैं तो फिर कैसे आप कन्वेंशन का आह्वान करते हैं। पहले देश इस पर विचार करे कि जो प्रावधान अभी किए गए हैं उनका कार्यान्वयन क्यों नहीं हो पा रहा है।

रिजर्वेशन का जहां तक सवाल है आप प्राइवेटाइजेशन की नीति अपना चुके हैं। पब्लिक सेक्टर का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जब यह स्थिति है तो इसकी क्या गारंटी होगी कि प्राइवेट फर्म में इनको रिजर्वेशन मिलेगा और उनको वहां नौकरियां दी जायेंगी इसके बाद बिल्कुल गारंटी नहीं रहेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके संबंध में आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पांसिव है? उनकी आर्थिक हालत में सुधार लाने के लिए 25 प्वाइंट प्रोग्राम और अन्य कई मुद्दे उनके लिए हैं जो शैडयूल्ड कास्ट के अपलिफ्टमेंट से संबंधित हैं। अंतिम मुद्दे बीस-सूत्री कार्यक्रम से संबंधित हैं। लेकिन इनके लिए या एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पांसिव है? क्या इसके लिए कन्वेंशन करने की जरूरत है? इसके लिए आप उनको दंडित क्यों नहीं कर सकते हैं, जहां वे रिस्पांसिव नहीं हैं? उनका क्या आप जवाबतलब करते हैं जहां पर वे रिस्पांसिव नहीं हैं। किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं हो रहा है। रिजर्वेशन के मामले में जो भी अधिकारी दोषी पाए गए हैं उनको दंडित क्यों नहीं किया गया है? जो उनके एकानामिक एंड सोशियो अपलिफ्टमेंट के प्रोग्राम हैं वहां पर घपले हुए हैं और उसके लिए जो दोषी हैं उन्हें आप दंडित क्यों नहीं कर रहे हैं।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बारे में जो आपके प्रोग्राम हैं इनमें जो लूपहोल्स हैं, जिन मामलों में धांधलियां होती हैं उन कानून के प्रावधानों को आप सख्ती से लागू कीजिए। इसको करने के लिए एक पोलिटिकल विल की जरूरत है। इसके लिए एक पोलिटिकल विल दर्शाने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

**श्री संघ प्रिय गौतम:** आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि को जाने बगैर हम चर्चा कर लेते हैं और इससे कभी-कभी सदन का समय भी बर्बाद होता है और हम आपसी आलोचना और समालोचना में फंस जाते हैं, जैसे कल हुआ। अगर आदरणीय पोप की विजिट के बारे में पहले से ही पता कर लिया जाता कि क्या वे स्वयं आ रहे हैं, या सामाजिक संगठन बुला रहे हैं या राजनैतिक संगठन बुला रहे हैं या कोई धार्मिक संगठन बुला रहे हैं या सरकार बुला रही है तो फिर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं थी।

महोदय, इस आरक्षण की पृष्ठभूमि क्या है? गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 बनने से पहले राउंड टेबुल कांफ्रेस में इस देश के तमाम लोगों के प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। डा॰ अंबेडकर जी डिप्रेस्ड क्लास के प्रतिनिधि के रूप में दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने क्या-क्या सुविधाएं, क्या-क्या प्रावधान उस एक्ट में दलितों के लिए बनाए जाएं अपना पक्ष रखा था और इस आरक्षण के लिए जो उन्होंने अपना पक्ष रखा, वह मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं:

On 31st December, 1930, there was a round table conference of the Sub-Committee on Minorities. I quote:

> "As to the question of joint or separate electorates, our position is this, that if you give us adult universal suffrage, the depressed classes, barring a short transitional period which they want for their organization will be prepared to accept joint electorate and reserved seats but if you do not give us adult suffrage, then we must claim representation through separate electorate." Unfortunately, separate electorate was granted by the then British Government to the depressed classes.

उससे बू आई एक सेपरेट नेशन की, एक अलग देश की। कहीं हिन्दुओं का बटवारा न हो जाए इस पृथक निर्वाचन से गांधी जी ने अनशन् व्रत कर दिया और उस अनशन् व्रत के कारण जब वे मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए तो एक ट्रीटी हुई डिप्रेस्ड क्लास और अपर क्लास के बीच, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच और वह ट्रीटी, वह संधि थी यह आरक्षण। व्यावहारिक दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो,

> It is a treaty between two nations, it is a treaty between two sections of the society, representing one another's interests.

इसलिए इस ट्रीटी को एक तरफा समाप्त नहीं किया जा सकता है जब तक दोनों फरीक न चाहें। जब भारत आजाद हो गया और संविधान सभा बनी तो विस्तार से इस पर चर्चा हुई और

आरक्षण तीन प्रकार से इन वर्गों को दिया जाएगा, उसके प्रावधान संविधान में बनाए गए। धारा 46 जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज आफ स्टेट पॉलिसी बनाए गए लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट पर हमें दया आती है। मैं तो एक छोटा वकील हूं। वह एक ही विषय पर भिन्न-भिन्न प्रकार के जजमेंट देते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज आफ स्टेट पॉलिसी के बारे में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई। यहां पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी बैठे हुए हैं और हमारे जाने माने लायर भी बैठे हुए हैं—

"Justice Hegde and Mukherjee: The fundamental rights and the Directive Principles constituted the conscience of our Constitution. The purpose of the fundamental rights is to create an egalitarian society to free all citizens from coercion or restriction by society and to make liberty available for all. The purpose of the Directive Principles is to fix certain social and economic goals for immediate attainment by bringing about a non-violent social revolution. Through such a social revolution the Constitution seeks to fulfill the basic needs of the common man and to change the structure of our society. It aims at making the Indian masses free in the positive sense. Without faithfully implementing the Directive Principles, it is not possible to achieve the welfare state contemplated by the Constitution."

इन प्रावधानों का कार्यान्वयन नहीं हुआ। अगर इनका कार्यान्वयन हुआ होता तो हनुमनतप्पा जी कह रहे थे, मैं भी उसी वर्ग में पैदा हुआ था। मैंने कभी किसी भी तरह से आरक्षण नहीं लिया। I have been a first-class student throught, and I am inferior to none in the society in every sphere of life. Though I am a petty man, I have been a wrestler, I have been a racer, I have been a debater, I have been a social worker and I have been a student of the Aligarh Muslim University in 1950s. At that time, hardly any Hindu student could stay in the residents hostel with Muslims.

लेकिन हमारे समाज का क्या हालत है? उस समाज की स्थिति क्या है जिस आधार पर यह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वीकार किया था। मैं उसको कोट कर रहा हूं। 31 दिसम्बर, 1930 को: If, therefore, you want to protect a minority class यह कहते थे उस समय मानइनरिटी क्लासेज को In our opinion, weightage is to be given because weightage means reservation.

जेठमलानी जी फालों कर रहे हैं? The minority class is weak either because of its number or because of its social standing being low, or, its educational standing being backward as compared to others, or because its economic strength is not sufficient to place it on par with the other communities. These were the issuees on which this reservation was considered and given.

ये चारों की चारों बातें आज भी वैसी ही हैं जैसे 60-70 साल पहले थीं। कोई परिवर्तन नहीं है। हां, अगर परिवर्तन आया ..... (व्यवधान) Hon. Minister, I request you to listen to me because you have to reply to me. आज परिवर्तन कोई आया तो जो खाई थी, छोटे और बड़े में, गरीब और अमीर में वह और ज्यादा बढ़ गयी है। मैं बतला रहा था तीन तरह थे आरक्षण के—एक तो शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में .... (समय की घंटी) Can you give me two or three minutes more? Otherwise, I am an obedient person.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I am willing to sit even after 7 o'clock.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Article 46 deals with promotion of the educational and economic interest of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections of the society.

अब आपको एजूकेशन प्रमोट करनी है तो कैसे करेंगे। फ्रीशिप देंगे, स्कालरशिप देंगे, बुक्स देंगे, फ्री एजूकेशन देंगे या एडमिशन में रिजरवेशन देंगे? यहां क्या हो रहा है? यहां एडमिशन में सुप्रीम कोर्ट रिजरवेशन खत्म कर रहा है। The Supreme Court is going contrary to the basic concept of the Constitution.

फिर सरकारी एजूकेशन समाप्त करके उसकी जगह पर पब्लिक इंस्टीटयूशंस खड़े किए जा रहे हैं जिनमें फीस बहुत ज्यादा है जिसे इन गरीबों के बच्चे ले नहीं सकते हैं। Taught education by the Government is meaningless and bought education cannot be purchased by these poor fellows. The intention is to keep them uneducated in future.

चौबे जी छब्बे बनने गए थे और दुबे जी हो गए। कैसे होगा? इसलिए You provide free, compulsory and uniform education to every citizen of India and no reservation to anybody.

हमारे बहुत से लोग यह कहते हैं कि यह एजूकेशन स्टेट का सब्जेक्ट नहीं हो सकता ..... (समय की घंटी) एकाध मिनट। एक मिनट और।

गोखले जी ए०आई०सी०सी० के प्रेजीडेंट थे। उन्होंने बनारस के अधिवेशन में प्रेसाइड करके 1905 में एक बहुत लम्बी-चौड़ी बड़ी मीनिंगफुल तकरीर दी थी और वह आन एजूकेशन थी In regard to education take up the question of education on national lines and under national control. This is what Shri Gokhale has said.

और यह हमारी सरकार कह रही है कि यह हमारा विषय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप टैक्स लगाइए लेकिन बढ़िया एजूकेशन दीजिए, फ्री एजूकेशन दीजिए। कोई मना नहीं करेगा।

If there is taxation, there should be representation. There should be no taxation without representation.

मान्यवर, दूसरा आरक्षण असेंबली और पार्लियामेंट का और तीसरा नौकरियों का है। बहुत लंबी-चौड़ी बातें छोड़िए, एक बात छोटी सी उदाहरण दे करके कह रहा हूं, हनुमनतप्पा साहब ने तो बहुत सी बातें कही थीं कि हम मैंबर्स ऑफ् पार्लियामेंट को कुछ अधिकार हैं। हम टेलीफोन के कनैक्शन दे सकते हैं, गैस के कनैक्शन दे सकते हैं, अपनी रेकमेंडेशन पर टी०ए०सी० के मैम्बर बना सकते हैं। मेरे पास एक जिले से कंप्लेंट आई, क्योंकि मैं पार्टी का एक पदाधिकारी हूं और फॉर्चुनेट्ली या संयोग से इस सैल का पूरे इंडिया में इंचार्ज हूं। मेरे पास लिस्ट के साथ एक कंप्लेंट आई।

One Member of Parliament, who is a non-Scheduled Caste Member, had recommended 35 names for TAC membership and none of them belonged to the Scheduled Castes.

इसलिए यह जरूरी है कि लोक सभा और विधान सभाओं में भी प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए, हू विल लुक ऑफ्टर देअर। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या थी? यही थी टू लुक ऑफ्टर द इंटरेस्ट्स ऑफ् द डाउं ट्राडन कम्युनिटीज़। इसलिए मान्यवर, मुझे मेरी सरकार पर, इच्छाशक्ति वाली सरकार पर भरोसा है कि अगर चाहे तो जरा सी देर में ही कोई काम हो सकता है।

आखिरी वाक्य कहूंगा मैंने कल भी इसका इंडीकेशन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेकों जजमेंट ओवररूल किए हैं और कोई अगर पूरी तरह से जजमेंट यूनैनिमस है तो मैं मान सकता हूं लेकिन उसको भी रिवर्स किया है, केशवानंद भारती और जजेज़ के एप्वायंटमेंट में चीफ् जस्टिस की ओपीनियन वाला 1982 का जजमेंट भी ओवररूल हुआ। लेकिन जजमेंट में एक भी आदमी, एक भी जज का डिस्सेंट है दैट इज़ सब्जैक्ट टू रिव्यू क्योंकि उसमें गुंजायश है। एक मुझे तकलीफ है कि यह जब इंदिरा साहनी वाला 16 नवंबर, 1992 को निर्णय हुआ, 18 नवंबर को इसी सदन में मैंने भाषण दिया था, अपनी तकलीफ को जाहिर किया था, लेकिन मज़ाक उड़ाया गया और 3 साल तक यह कहते रहे उसका कोई ताल्लकु शैडयूल्ड कास्ट, शैडयूल्ड ट्राइब के आरक्षण से नहीं है। मैंने कहा, Kindly go into the petition. Nobody paid any attention to my mental agony.

और अल्टीमेट्ली क्या हुआ कि हमें यह अमेंडमेंट करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं यह अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट ही नहीं है।

एक और उदाहरण दे रहा हूं कि देखिए एक मामूली आदमी भी कितना अकलमंद होता है। जब मैं वकील था तो एक आदमी मेरे पास आया कि 307 के मुकदमें में मेरी जमानत करा दीजिए। सरकारी वकील की रिपोर्ट मंगानी पड़ती है। दूसरे वकील के पास केस था। उसने कहा उसकी जान-पहचान का सरकारी वकील है, वह रिपोर्ट तुम्हारे माफिक दिलवा दूंगा। तुम उससे दरख्वास्त लिखवा लो। मैंने उसकी बेल एप्लीकेशन लिख कर डाल दी। बालपेन जब ये चले ही थे और यह हुआ था कि बालपेन से कोई एप्लीकेशन नहीं लिखेगा, वह एप्लीकेशन लिख कर डाल दी। लेकिन दूसरे वकील ने फीस ले ली और उसने बहस की। वह बेल एप्लीकेशन रिजैक्ट हो गई तो वह बोला कि तुमने तो, वकील साहब, गारंटी ली थी। 110 रुपये फीस ली। बगैर पढ़ा-लिखा मुवक्किल था। कहा मेरी तो जमानत खारिज़ हो गई, अब मेरी फीस वापस करो। तो वकील साहब क्या बोले, सुनिए साहब, इंपार्टेंट बात है, ये जज अपने को बहुत काबिल समझते हैं। वह क्या बोला? वकील साहब ने कहा कि मैं क्या करूं, उस वकील ने बालपेन से दरख्वास्त लिख दी। तो बोला कि अच्छा तो वकील साहब मुझे दिखाओ, अगर मैजिस्ट्रेट ने यह लिखा होगा कि चूंकि दरख्वास्त बालपेन से लिखी हुई है इसलिए खारिज़ कर रहा हूं, तो फिर मैं उस वकील की गर्दन पकड़ लूंगा, नहीं तो तुम से पैसे लूंगा। वकील साहब खेल गए, चूंकि यह आर्डर नहीं था। अब बगैर पढ़े-लिखे आदमी भी इन जजों से ज्यादा अकलमंद बैठे हुए हैं। इस बात का कोई जवाब नहीं है।

इसलिए हमारे संविधान की रूह विकास और कल्याण है। जितने लेजिस्लेशन हों, वे विकास की दिशा में हों और सुप्रीम कोर्ट के जितने जजमेंट्स हों, वे विकास की दिशा में हों, कल्याण की दिशा में हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Thank you very much. I am sorry I had to stop the dance of Saraswati on your tounge, but I am helpless.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: So kind of you, Sir I am a very small person, Sir; so kind of you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I have again to take the sense of the House. We have gone on without a lunch break. I have got 13 more speakers to go and we have got hardly 1-2 hours to complete the speeches and then take the vote. So, I will request you earnestly while speaking on this, try to confine yourself to the time-limit, if possible, because everybody has finished and there is no doubt that there is no difference of opinion. May I now request Prof. M. Sankaralingam to speak?

PROF. M. SANKARALIANGAM (Tamil Nadu): Hon'ble Sir, I rise to support the motion moved by our...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): You have got four minutes.

PROF. M. SANKARALINGAM: I will try to finish, Sir. Now the curse of our country is casteism. Unless we eradicate the caste system, no social justice can be achieved in our country. That is why our Constitution-makers, especially Babasaheb Dr. Ambedkar, had provided this constitutional provision to eradicate this social injustice. But I want to bring to the knowledge of this August House, though all of them are aware of this, how the system is functioning. I am quoting one report: "Scheduled castes received their first education in the mission schools. The Government schools set up by the British Government were open only to the upper castes. By a Government Order of April, 28, 1858, the Education Departments in India made rules to admit children of SCs in all Government schools. But the Government had soon to withdraw this order as the children from higher castes began to boycott the school. Thereafter, separate schools were opened for SCs. The Indian Education Commission 1881-82, which examined the problem in detail, made the following recommendations:

"Wherever there are sufficient number of SC children, separate schools or classes are to be opened for them in schools maintained by public funds. Every institution maintained by or receiving aid from public funds, whether provincial, municipal or local, should not refuse admission to a child of SC on the grounds of caste alone."

Both these recommendations were accepted and implemented and, after implementation of these recommendations, for more than 120 years, we are not able to eradicate the evil of casteism i.e. the social injustice done to our own brohers. And our hon'ble Law Minister had requested this House to

suggest the ways as to how to eradicate evil within the next ten years for which the Constitution Amendment Bill has been brought forward before the House. I want to stress that casteism was first opposed by our great mentor, Thanthai Periyar of Tamil Nadu. A Satyagraha to demand temple entry was organised in the erstwhile Travancore State. During 1925, a march was led from Tamil Nadu by by our great leader, Thanthai Periyar taking our brethrens who were depressed and who were suppressed by the high caste people to the temple at Vaikkom in Travancore.

That is known as Vaikkom Satyagraha. Then in 1923-25, a Satyagraha was launched at Suchindram, near Kanyakumari. As a result of it, the erstwhile Maharaja of Travancore made a temple entry proclamation in 1925. So this movement of social justice was enunciated. People are practising this idea in Tamil Nadu, Travancore-Cochin, Mysore, Bombay and other places. The 1909 Minto-Marley Act and the 1919 Montague-Chelmsford Act provided reservation for religious sects and not for any castes or depressed people. In Tamil Nadu, our great leaders, Anna and Dr. Kalaignar made some concrete suggestions i.e. reservation for the Scheduled Castes should be raised from 16 per cent to 18 per cent. For Scheduled Tribes it was one per cent and for Scheduled Castes it was 18 per cent.

The Land Ceiling Act was implemented and the ceiling was reduced from 30 to 15 standard acres. In 1970 we acquired 1,97,900 acres of land and 1,71,000 acres of land was distributed among the poor people. Only 61,985 acres of land were reserved for Scheduled Castes. Moreover, the Department of Backward Classes and Scheduled Castes has been bifurcated and a Most Backward Classes and Scheduled Castes Department has been created. They have provided sufficient funds to this Department to emancipate these people. Pattas of land and houses were given to more than 175,000 people. In 1968, our great leader, Anna had given 20,000 free houses to Scheduled Caste people. They gave free electricity to 97 per cent of the Adi Dravidas.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please conclude.

PROF. M. SANKRALINGAM: If a post has been reserved for the Scheduled Caste people and if there are no candidates availabble, that post is not been dereserved. No orders have been issued for dereservation. Samatuvapuram concept in the name of Thanthai Periyar has been enunciated. The present D.M.K. Government has allocated Rs. 53.31 crores. Forty per cent of the houses have been given to the Scheduled Caste people. I would request the Government and the Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee to give full cooperation to the State Government and allocate sufficient funds for these schemes to elevate these people. Thank you.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Sir, I rise to support this Bill on behalf of my party, the AIADMK. This reservation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes is not an alms, but it is a right for the less-privileged and the under-privileged people. This was enunciated even in the 1932 Pune Pact between Mahatma Gandhi and Dr. Ambedkar. Since then, this reservation has been given to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. But, are the benefits that have been extended to the Scheduled Castes really reaching the deserved persons? Sir, by this reservation, two sections have been created among the people of the Scheduled Castes. One is called the creamy layer. Those persons who have already availed the benefits continue to avail them, and these benefits do not go to the ground level people. I would like to say that there should be a check to see whether the people in the creamy layer have attained some position, in which case, the heirs of such people should be debarred from enjoying the benefits so that the real persons who are entitled to get the benefits get the same. Sir, now, there is a provision for reservation while contesting elections to the Lok Sabha and to the State Assemblies. But, Sir, some constituencies have been delineated for this. So, the Delimitation Commission has to sit at least once in ten years to review the position of various constituencies, and the Scheduled Caste people who are residing in other constituencies will have to be given an opportunity. Once a reserved constituency, it should not be a reserved constituency for years to come. There should be a rotation so that the Scheduled Caste people residing in other constituencies also can get that benefit.

Sir, so far as Tamil Nadu is concerned, there is reservation to the extent of 18 per cent for the Scheduled Castes, and 1 per cent for the Scheduled Tribes, totalling 19 per cent, and to the extent of 50 per cent for the Backward Classes. So, we have been agitating that Tamil Nadu reservation should be given constitutional protection to maintain the 69 per cent reservation provision. The President also, in his Address, had given an assurance that whatever be the percentage of reservation in each State, it can be protected. So far as Tamil Nadu is concerned, several legislations have been passed. So far as the question of inheriting the job of Archakas and the job of Village Administrative Officer is concerned, we passed legislation doing away with this system. We also enacted a separate legislation under the leadership of late Dr. M.G.R. for acquisition of lands for providing house-sites to the Harijans. This was struck down by the Madras High Court which has been upheld by the Supreme Court. Our leader, Dr. Jayalalitha had enunciated a 10-point programme for the Scheduled Caste people providing basic amenities to the Scheduled Caste students. So far as the dropouts from schools are concerned, a special scheme of scholarships for Dalit girls had been introduced and many girl students were able to avail themselves of the benefits of this scheme. Legislations providing for road facilities, drainage

facilities, access to burial grounds, free house-sites and several other things were passed and these have been implemented also. So, the socio-economic and political empowerment of Dalits should be taken up.

Recently, the hon. Supreme Court, by invoking Articles 16(4) and 335, has struck down reservation in promotions. So, Article 335 requires an amendment to make this provision for these people.

At the end, I would like to say that, sometimes, PCRACL is misused also. The Government should take steps to see that this power is not misused. If that is done, I think this community will come up well. Sometimes, the upper caste people use the Scheduled Caste people as their henchmen to initiate complaints against other people. If this misuse is avoided, we can live much more peacefully as a community. I would like to say another thing at the end and that is that, political manoeuvring to appease vote banks has robbed the reservation policy of its noble intentions. It is time we had a fresh look at the affirmative objectives of the policy to reduce the socio-economic disparities.

With these words, I would like to conclude by saying that I wholeheartedly support this Bill on behalf of my party.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I would request the hon. Members to comply with the time-limit. The Indian National Congress has got 15 minutes in all and it has three speakers. If any of the speakers exceeds the time-limit, the name of the last speaker will have to be unfortunately, removed from the list of speakers. I am helpless.

**श्री राधाकिशन मालवीय (मध्य प्रदेश)**: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो संविधान संशोधन विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, हमारे संविधान में अनुच्छेद 51क(ङ) के अनुसार—

> 'भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो'।

किन्तु आज़ादी के 50 साल के बाद अगर हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाइयों की स्थिति देखें तो जितना सुधार उसमें होना चाहिए था, उतना सुधार नहीं हो पाया है और इसमें अभी और सुधार की गुंजाइश है।

मान्यवर, जहां तक आरक्षण का सवाल है, हमारी लोकसभा और विधानसभाओं में और शासकीय नौकरियों में इन लोगों को कुछ प्रतिनिधित्व मिला है। लोकसभा में आज तक इस वर्ग के करीब 1,440 प्रतिनिधि चुनकर आए हैं और देश की विधानसभाओं में विभिन्न राज्यों में करीब 1,081 प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, इस आरक्षण की पालिसी की वजह से।

जो कुछ हमको करना है उसमें बहुत गुंजायश है और जो आरक्षण की पोलिसी निर्धारित की थी वह 26 जनवरी, सन् 2000 में समाप्त हो रही है और इसलिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है कि इसकी अवधि दस वर्ष और बढ़ाई जाए। मान्यवर, इस समाज में हम उन दलित और कमजोर वर्ग के भाइयों को समाज के अन्य उच्च वर्ग के जो भाई हैं उनके समकक्ष जब तक नहीं लाएंगे तब तक हम महात्मा गांधी के सपनों को और डा० अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो प्रावधान किया गया है उनको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आज इस देश में दो प्रकार की समस्या इस प्रकार के वर्ग के भाइयों के बीच में है। हमारे जो अनुसूचित जाति के भाई हैं उनके सामने सामाजिक समस्या है। आज उनके बच्चे पढ़ लिखकर के जो आगे बढ़े हैं उनको नौकरी पाने में बड़ी तकलीफ होती है। उनके पास किसी प्रकार का कोई रोजगार या अन्य कोई धंधा नहीं होने से आज वह पिछड़ते जा रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे इस वर्ग के भाइयों की नौकरी के लिए अधिक से अधिक व्यवस्था की जाए।.....(समय की घंटी).....बस, एक मिनट और लूंगा।

जहां तक हमारे अनुसूचित जनजाति के भाइयों का सवाल है, उनके सामने आर्थिक समस्या है। आज भी वह गरीबी की रेखा के नीचे जंगल में निवास कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से उनको मजबूत करना अति आवश्यक है। हमारे समाज में हमारे हरिजन भाई आज जहां पर हैं सरकार ने उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं जिनको सरकार संचालित करती है। सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनको स्टाइपंड रु० 250/- प्रति माह के हिसाब से देते हैं, रु० 250/- में इस जमाने में कुछ नहीं हो पाता है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस स्टाइपंड की धनराशि को बढ़ाया जाए। इस बिल के संबंध में बहुत सी बातें कहनी थी। हमारे गांव में रहने वाले इस वर्ग के भाइयों के साथ छुआछूत की भावना चलती है। आज भी उनको होटल में चाय नहीं दी जाती, शादी-विवाह में उनके बच्चों को घोड़े पर बैठकर प्रवेश करने से रोका जाता है। उनके कपड़े नहीं धोए जाते हैं। आज भी नाई उनके बाल नहीं बनाते है और हमारे जो सार्वजनिक स्थान है—मंदिर, कुएं, तालाब हैं वहां जाने के लिए उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि कानून तो बहुत बने हैं। राज्य सरकार किसी भी दल की हो अगर दलितों के हित में कठोर कदम नहीं उठाती है तो केन्द्र सरकार को संविधान के निर्देशक और सिद्धांतों की रक्षा के लिए कड़ाई से काम लेना होगा तभी इस वर्ग का उत्थान हो सकता है। मैं अंत में अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं समय-सीमा के अनुसार और इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Shri Satish Pradhan. Your party has got four minutes.

SHRI SATISHCHANDRA SITARAM PRADHAN: (Maharashtra): Sir, I will try my level best to finish within four minutes, but I shall be highly obliged if you give me one or two minutes more. उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यहां इस विषय पर विचार रखने का मौका दिया। मुझे इस सदन में बात करते समय इसका भी गर्व है कि जिस पार्टी से मैं यहां आया हूं वह शिव सेना पार्टी है और उसको जिन्होंने जन्म दिया वह शिव सेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी हैं। उन्होंने शिव सेना को जन्म देते ही एक सलोगन दिया था जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था—ये सभी वाद खत्म करने हैं, जिसको खत्म करना है वह शिवसेना में आए। तो शिवसेना का जन्म इसी विषय पर हुआ और शिवसेना

का जन्म होने के बाद वर्षों तक चुनाव में जबरदस्ती से उम्मीदवार खड़े करने के लिए हमें यह पूछना पड़ता था कि यह रिज़र्व सीट है, इसके लिए आप उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं? और उस समय हम आपत्तिजनक मानते थे किसी से यह पूछना। बच्चा जब स्कूल में पढ़ता था तब भी हमें जो शिक्षा स्कूल में दी जाती थी, वह स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा भी इसी किस्म की होती थी कि मैंने कभी अपनी बगल में बैठे हुए किसी भी स्टूडेंट से यह नहीं पूछा कि तू कौन सी जाति का है? कौन से धर्म का है? कहां से आया है? कहां रहता है? लेकिन मैं उससे दोस्ती करता था, उससे प्यार करता था और मैं किसी भी समय उसके घर में जाकर बैठ सकता था, खा सकता था और ऐसे भी लोगों के घर जाकर बैठता था जिसकी मां या पिताजी म्युनिसिपैलिटी में लोगों की सफाई का काम करते थे। आज की तारीख में ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए मुझे और किसी दूसरे से शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से यह बताना चाहूंगा कि यह जो रिज़र्वेशन का सिलसिला शुरू किया गया, पहले दस वर्ष के लिए रखा गया। उसके बाद टाइम-टाइम पर बढ़ाया जाता रहा। एक तरफ तो हमें इसकी आवश्यकता है, हम इसका समर्थन करते हैं लेकिन दूसरी तरफ इसकी दूसरी प्रतिक्रिया क्या है? यह भी देखने की आवश्यकता है और उसके ऊपर भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यह बात ऐसी है कि आज हम यहां विचार कर रहे हैं, विधेयक पारित कर रहे हैं और विधेयक पारित करते समय दस वर्ष की मुद्दत और बढ़ा रहे हैं।

महोदय, जो लोक सभा या विधान सभा का चुनाव है, वहां जो रिज़र्वेशन सीटों का है, वह भी हम बढ़ा रहे हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि आप इस विषय पर भी विचार कीजिए कि एक सीट जो शुरू से रिज़र्व कर रखी है, वह आज की तारीख तक रिज़र्व है तो उस क्षेत्र में दूसरे जो लोग रहते हैं, जो राजनीतिक कार्य करने वाले हैं क्या उनके लिए यह समस्या नहीं है? वे लोकतंत्र के अधिकारी हैं या नहीं? यदि वे अधिकारी हैं तो उनको भी वहां जाने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए सीट्स रिज़र्व करने के बजाय और कोई दूसरा रास्ता सोच सकते हैं क्या? इस विषय पर भी समाज में चर्चा करने का आवश्यकता है।

महोदय, महिला विधेयक लाते समय भी हम 33 परसेंट रिज़र्वेशन की बात करते हैं और वे सीट्स रिज़र्व करने की बात करती हैं। मेरा कहना यह है कि सीट रिज़र्व करने के बजाय कोई दूसरा रास्ता सोचें। हम राजनीति करने वाली सभी लोगों को गौर से इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं या अन्य विषयों पर बात करते हैं। हम कहते हैं कि एम०बी०बी०एस० वाला डॉक्टर है तो वहां भी रिजर्वेशन चाहिए लेकिन मैं यह जानता हूं और अनुभव के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, यदि कभी ऐसा मौका आता है कि उनके ऊपर कोई विपदा आती है और ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है तो उनको हिंदुस्तान के डॉक्टर नहीं भाते। वे विदेश जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो ऐसा क्यों? क्या यहां अच्छे डॉक्टर नहीं हैं? क्या शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कोई अच्छे डॉक्टर नहीं हो सकते? इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। उनको कोई जगह देने के बारे में कोई नहीं सोचता है और अपना ऑपरेशन यदि कराना हो तो ये राजनीतिक लोग कहते हैं कि हम विदेश जाकर कराएंगे और यहां आकर चौड़े होकर आरक्षण की बातें करते हैं। इसलिए जड़ जो है वह एक जगह पर है, शिक्षा देते समय हम कैसे सुधार करें? शिक्षा देते समय या नौकरी देते समय रिजर्वेशन की बात मत करिए। उसको अच्छी शिक्षा देकर ऊपर कैसे उठाया जाए इस पर क्यों नहीं कोशिश होती है? उनको अच्छे ढंग से शिक्षा दी जानी चाहिए। किसी प्रधान मंत्री, एम०पी०, मिनिस्टर, लीडर या

इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा दूर स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है लेकिन जो गरीब है, अछूत है और जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसका बच्चा म्युनिसिपेलिटी के स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। दोनों बच्चों के स्कूल में अन्तर होता है। इसी कारण दोनों में अंतर होता है। इसके लिए दोनों में समानता लाना जरूरी है।

महोदय, हम इंजिनियर्स के लिए रिजर्वेशन की बात करते हैं। अभी हनुमनतप्पा जी ने बात की है कि अच्छे वैज्ञानिकों के लिए भी रिजर्वेशन चाहिए। मैं बताना चाहूंगा। इसके लिए हमें अच्छे ढंग से उसको शिक्षा देनी चाहिए और उसके लिए शिक्षा में ज्यादा सुविधा की बात सोचनी चाहिए। यदि किसी को तीस, चालीस या पचास परसेंट मार्क्स मिलते हैं तो उससे हम उम्मीद करें कि वह डेम बनाए। यदि वह डेम बनाएगा तो वह डेम टूट जाएगा और कोई भी बच नहीं पायेगा इसलिए हमें उनके लिए स्कूली शिक्षा के लिए अच्छा प्रबन्ध करना चाहिए और इस ओर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज हमारे देश को आजाद हुए पचास साल हो गए हैं और हम अपनी आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं। इन पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए कांस्टीट्यूशन बनाते समय सोचा गया और उससे पहले भी सोचा गया। इन पचास सालों में उसका इम्पलीमेंटेशन होना चाहिए था। इसी वजह से यहां फिर से जबरन यह आरक्षण करना पड़ रहा है। मेरा अनुरोध है कि सरकार दस साल में ऐसा काम करे कि यह मौका दोबारा न आये जिससे यहां पर इसके ऊपर चर्चा हो।

**श्री राजूभाई ए॰ परमार (गुजरात):** महोदय, आपने मुझे 84वें संशोधन विधेयक, 99 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री द्वारा जो यहां पर यह बिल लाया गया है मैं इसका समर्थन करता हूं। यह संशोधन विधेयक जो यहां पर आया है यह एक औपचारिकता है। हर दस साल के बाद इसको सदन में लाया जाता है और उसको पास किया जाता है। यह विधेयक अपने आप में इस बात का संकेत है और इस बात को प्रकट करता है कि इस देश में तीस करोड़ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ जो वायदे संविधान में किए गए थे, आज पचास साल के बाद भी उनकी परिस्थिति में कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति वैसी की वैसी दिखाई देती है यहां पर जो बिल लोक सभा और विधान सभा में दस साल के लिए एक्सटेंशन के लिए रिजर्वेशन बिल आया है, मेरे ख्याल से लोक सभा में तो इस बिल के जरिए 119 लोग आ जाएंगे।

3.00 P.M.

लोक सभा में 119 और विधानसभा में भी उसकी स्ट्रेन्थ के मुताबिक किये जाएंगे लेकिन मेरे ख्याल से जो दो दूसरे टाइप के रिजर्वेशन हैं, खासतौर पर रिजर्वेशन इन एजुकेशन और रिजर्वेशन इन सर्विस, इन दो मुद्दों पर यदि ज्यादा हम इम्पोर्टेंस देंगे और खास तौर पर जो रिजर्वेशन इन एजुकेशन है, शिक्षा में जो रिजर्वेशन का प्रावधान है उसके बारे में यदि मंत्री महोदय इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो मेरे ख्याल से दलित समाज का एक बहुत बड़ा काम किया हुआ लगेगा। आप सब जानते हैं, हमारे बंगारू लक्ष्मण जी ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एण्ड ग्रीवेंसस की तरफ से जो पांच ऑफिस मेमोरेंडम 1997 में इश्यू हुए, उसके बारे में अभी कुछ यहां पर भी कहा है। उसके बारे में काफी कुछ कहा है। संसद में भी इसके बारे में चर्चा हुई थी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी संसद में चर्चा के दरमियान उसमें जो रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि

I wish to inform the House that the Cabinet has already considered the matter arising from the five Office Memoranda on reservation for SC/ST and OBCs, which is agitating the hon. Members. The Cabinet noted that these five Office Memoranda have been issued by the Department of Personnel and Training in 1997, after obtaining the approval from the then Cabinet. Two of these Office Memoranda are currently under the adjudication of the Supreme Court. We would welcome the formation of a Committee of Members who could go into the subject and assist the Government in this regard. The Government is committed to maintain the system of reservation that has been followed so far and is prepared to bring forward legislation even to amend the Constitution.

सर, यह प्राइम मिनिस्टर ने जो आश्वासन हाउस में दिया था, उसके बारे में भी हमारे मंत्री महोदय कुछ कार्रवाई करेंगे, इसकी मैं सिफारिश कर रहा हूं। साथ ही में जो दूसरा अहम् मुद्दा हमारे गुजरात के दलितों का है, गुजरात में शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में जो मोची कम्युनिटी है, आप महाराष्ट्र से हैं, आप जानते हैं कि मई, 1960 में जब गुजरात का क्रिएशन हुआ, उस समय उमरगांव तालुका और डांग डिस्ट्रिक्ट की जो मोची कम्युनिटी थी उसको शेड्यूल कास्ट में काउण्ट किया जा रहा था। दो एरिया के लोगों को वहां पर शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट दिया जा रहा था लेकिन 1976 में पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट लाने की वजह से जो एरिया रेस्ट्रिक्शन रखा गया था दो जगह का, वह एरिया रेस्ट्रिक्शन निकाल दिया गया। उसकी वजह से पहले केवल उमरगांव और तालुका के लोग और डांग डिस्ट्रिक्ट के लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे थे। उसकी जगह गुजरात की मोची कम्युनिटी को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलने लगा। इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने वाली बात यह है कि मोची कम्युनिटी गुजरात में अनटचेबल नहीं है। वे शेड्यूल कास्ट के किसी फंक्शन में नहीं आते, मिक्स भी नहीं होते शेड्यूल कास्ट के साथ। मैं कहना चाहता हूं कि मोची कम्युनिटी का एरिया रेस्ट्रिक्शन दोबारा रखा जाए ताकि जो पूरे बेनिफिट्स मोची कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट के लोगों को ले रही है, और जो अन्याय गुजरात के दलितों को हो रहा है उस अन्याय को हम दूर कर सकें। माननीय समाज कल्याण मंत्री जी भी यहां बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है हमारे गुजरात के पूरे शेड्यूल कास्ट के एम०पीज, दलित आर्गेनाइजेशन्स, गुजरात गवर्नमेंट ने भी एरिया रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए सिफारिश की है। इस पर ध्यान आकर्षित करके दोबारा एरिया रेस्ट्रिक्शन इंट्रोड्यूज किया जाए, ऐसी मेरी मांग है। मैं माननीय मंत्री द्वारा लाए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। इन्होंने जो कन्वेंशन की बात कही है उसमें सिर्फ आरक्षण की चर्चा न हो बल्कि इसके साथ साथ जो एट्रोसिटी के जो मसले हैं, उन पर भी चर्चा हो। इसके साथ ही साथ एकानामिकली, सोशली डेवलपमेंट उनका किस तरह से किया जाए, इस मुद्दे पर भी कन्वेंशन में चर्चा हो, ऐसी मेरी माननीय मंत्री जी से गुजारिश है।

SHRI S. PETER ALPHONSE (Tamil Nadu): Sir, with your kind permission, I would like to say a few words on the Constitution (Amendment) Bill regarding the reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Now, the reservation is no more a political question. When it was a political question, we had a constitutional answer. But now it is a social question. The reservation goes deep into the villages, where it causes

social tension, where it causes political rivalry. A section of people think that they have been deprived of their rights. The recent elections witnessed that the voting pattern was, more or less, based on communal lines. 'Group of backward classes', 'Group of forward communities', 'Dalit vote-bank', these words had repeatedly been appearing in newspapers. And every politician, every political party, has been a party to this. Nobody can say, "I am not a party to this." This is what is happening. Here, I would like to say that reservation is not a charity. Granting reservation to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is not a charity. It is their right. But many people think that it is a charity. Even politician think so. When we do something for this weaker section of the society, we boast ourselves, we go to the platform and say, "We have given this benefit to the *dalits.* We have made this man a Minister because he is a *dalits.* We have made this man an officer because he is a *dalit.*" This sends wrong signals to the other sections of the society. We have got a more committed cause to this Amendment Bill. I would like to say that we should understand the problem at the basic level. There should be delimitation of constituencies. It has been seen that many sections have been deprived of their rights. For example, take my constituency. For the past 32 years, it has been a reserved constituency. Not only that, the Assembly segment is also a reserved one, the panchayat union is also a reserved union, and the panchayat is also reserved for the Scheduled Castes. So, that village has been getting elected representatives from a particular section of the society. But the other people have been denied of their right to elect their own representatives for more than a quarter of a century. When the framers of the Constitution provided for reservation, they had not anticipated this social tension. Now, when you are going to extend this for another ten years, it is also a fact that the other constituencies will not get their rights for so many years. There are eligible candidates from the Scheduled Castes in other constituencies, who can contest parliamentary elections, who can contest assembly elections. So, the Government should give us a guarantee as to when they are going to undertake the task of delimitation of constituencies. Otherwise, you will be creating so many divisions in the society because, these days, elections are fought more on caste basis than on political lines. That is a *fait accompli.* You cannot ignore that. (*Time bell*) Sir, I will finish it within two minutes. The real purpose of reservation is to provide the last man with power. In my own State there is one Panchyat. Under the Panchayat Raj, it was reserved for a Scheduled Caste candidate. The elections were conducted. All other social groups got together and said that no 'Dalit' should be the President of the Gram Panchayat here. So, they gave a warning. As a result of this, nobody filed any nomination paper for the election. Then, the election was postponed. Subsequently, there was one young man who was brave enough to fight for the social cause, came forward and filed his nomination papers. Since he had

no opponent, he was declared elected unopposed. But what happened was that, after three days, that young man was cruelly murdered. It is all in black and white. Then, another group of youngsters gathered. Now, this time about 10 people wanted to contest the election. A man contested, and he was also murdered. No, there is no Panchayat. What is the purpose of reservation? What are we going to provide to the downtrodden? So, you have to make the society, the nation, understand that what is due to the Scheduled Castes is not a matter of charity; it is a matter of their right, their privilege, for which they have been subjected to social torture for the past 5000 years, and for which the nation is bound to compensate them. This should be the message that you have to send to the nation. I think, under the able guidance of our Law Minister, who himself is a legal luminary, the Government would be able to find out some way or the other to send a correct signal to the society so that the society accepts, with all grace, with all feeling that it is its bounden duty and it is its moral obligation to the downtrodden sections suffering for the past 5000 years. Thank you.

**श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश):** उपसभापति महोदय, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए आरक्षण के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें सदन के माध्यम से रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं सदन के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आरक्षण का जन्म कब हुआ, आरक्षण क्या चीज़ है और आरक्षण की व्यवस्था कब तक लागू रखनी चाहिये। महोदय आरक्षण का जन्म मनुस्मृति के गर्भ से हुआ और मनुस्मृति में व्यवस्था के नाम पर कुछ लोगों को पढ़ने पढ़ाने का काम आबंटित किया गया, कुछ लोगों को लड़ने लड़ाने का काम आबंटित किया गया, कुछ लोगों को व्यापार का काम आबंटित किया गया और कुछ लोगों को शिक्षा से वंचित ही नहीं किया गया बल्कि ज्ञान की बात सुनाई पड़ने पर कान में सीसा पिघला कर डालने की व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, ज्ञान की बात बोलने पर ज़बान कटवाने की व्यवस्था की गई और ज्ञान की बात याद करने पर गला कटवाने की व्यवस्था की गई जिसका परिणाम आज हमारे भारत देश में परिलक्षित है कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत देश का जो बच्चा पैदा हो रहा है आज भी वह विदेशी कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। इसीलिए हमारे संविधान के शिल्पकारों ने इस आवश्यकता को महसूस किया और आरक्षण को संवैधानिक अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार दिया। आरक्षण क्या चीज़ है? आरक्षण एक प्रकार की सहूलियत है, एक प्रकार की सुविधा है जो कमज़ोर लोगों को आगे बढ़ने के लिए दी जाती है। मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस सुविधा के अभाव में आज इस देश में हज़ारों लाखों लोग डा० अम्बेडकर हो सकते थे, जवाहरलाल हो सकते थे, गांधी जी हो सकते थे, सुभाष हो सकते थे लेकिन सुविधा के अभाव में वह नौनिहाल लोग हरवाहे चरवाहे मात्र रह गए। इसलिए हमारे संविधान के शिल्पकारों ने इसे समझ कर आरक्षण को मौलिक अधिकार के रूप में दिया। आज़ादी के 50 साल के बाद भी नीति तो बनती रही, नियम भी बनते रहे लेकिन नीयत के अभाव में आज भी आरक्षण व्यवस्था किसी भी क्षेत्र में कहीं भी पूर्ण रूप में लागू नहीं की गई और न उसको पूरा किया गया है। अब मैं आता हूं कि आरक्षण की व्यवस्था कब तक रहनी चाहिए। हमारे संविधान शिल्पियों ने आरक्षण की व्यवस्था केवल दस वर्ष के लिए की थी। यह सपना संजोकर की थी कि हमारे नेता लोग, हमारी सत्ता

की व्यवस्था चलाने वाले लोग इस समाज को इतना ऊंचा उठा देंगे कि यह जो गैर बराबरी वाला समाज है इसकी खाई समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज इस सदन के माध्यम से बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के 50 साल क्या 52 साल बाद भी आज तक यह गैर बराबरी समाप्त नहीं हो पायी है जिसके कारण आज भी आरक्षण की व्यवस्था दस-दस वर्ष लागू करके हमारे सत्ता पक्ष के लोग यह एक प्रकार का अहसान अनुसूचित जाति और जनजाति पर जताने का कर रहे हैं। मेरी समझ से यह दस-दस वर्ष का आरक्षण दे देकर वे आरक्षण नहीं बल्कि अपना संरक्षण करते आ रहे हैं।

आरक्षण कब तक रहना चाहिए? मेरी अपनी राय है कि जब तक इस देश में छुआछूत का घिनौना अभिशाप इस देश के किसी कोने में रहता है तब तक आरक्षण की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए और इसको बार-बार दस साल तो बढ़ाना नहीं चाहिए बल्कि इसको संविधान की नौवीं सूची में लाकर एक बार में पूरा करा देना चाहिए।

इसके साथ ही साथ मेरे साथी आर मार्गबंधु जी ने क्रीमी लेयर का जिक्र किया था। मैं इसके संबंध में थोड़ा-सा बताना चाहता हूं। यहां क्रीमी लेयर का सवाल नहीं है। सवाल है सामाजिक व्यवस्था का। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जगजीवन राम इस देश के रक्षा मंत्री होते हुए भी जब बनारस में सम्पूर्णनन्दजी की मूर्ति का अनावरण करने गए तो क्रीमी लेयर के नाते नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था की कुव्यवस्था के नाते वहां सम्पूर्णनन्द की मूर्ति को भी गंगा जल से धोना पड़ा। इसलिए जब तक यह सामाजिक कुव्यवस्था इस देश में वर्तमान है तब तक आरक्षण की व्यवस्था को वर्तमान रहना चाहिए।

हमारे शिव सेना के साथी मेडिकल और इंजीनियरिंग का जिक्र कर रहे थे। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि प्रांतों में जो कुछ डोनेशन देकर एडमिशन किए जाते हैं वह धन कौन सी योग्यता का माप है। क्या वह धन जो देकर एडमिशन लिया जाता है वह उनकी योग्यता का माप है। एक सुविधा देकर उनको आगे बढ़ाया जाता है। क्या यह नहीं होता है?

तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आरक्षण में वेटेज देकर उनको बढ़ाने का काम करना चाहिए।

साथ ही साथ इसका समर्थन करते हुए मैं चंद मांगे करता हूं। यह जो राजनैतिक आरक्षण दिया गया है इसके साथ ही साथ मैं सरकार से मांग करता हूं कि आरक्षण को नौकरियों में भी पूरा करने के लिए सरकार को अविलम्ब कोई न कोई कानून बनाना चाहिए ...**(समय की घंटी)** और आरक्षण का बैकलाग भी पूरा किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा में भी आरक्षण व्यवस्था दी जानी चाहिए और हमारी मांग है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में भी विधेयक लाकर आरक्षण व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। देश के सबसे बड़े सर्वोच्च सदन राज्य सभा में और विधान परिषदों में भी आज तक आरक्षण नहीं है। हमारी अपनी मांग है कि इन सभाओं में भी नियम बनाकर, विधेयक लाकर सरकार को आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पुनः समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

DR. (SMT.) JOYASREE GOSWAMI MAHANTA (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am not against the Constitution (Eighty-fourth Amendment)

Bill, 1999. I would like to mention some points in this august House. There has been a demand from the people of Assam and from the people of North-East that the Koch Rajbansi people of Assam should be included in the Scheduled Tribes list. But so far, it has not been done. I once again urge upon this Government to include the Koch Rajbansi people of Assam in the Scheduled Tribes list.

Second, there is a sense of deprivation among the upper caste people also. If the competitive mind of the people is not respected, what is the use? In the educational field, it should not be compromised even if they belong to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes or the general community because, in the next millennium, after getting 30 per cent or 40 per cent marks, they would not be able to get an opportunity to go for higher studies. They would not be able to get promotions in service. If it is compromised, then, there will be no competitive mind amongst our younger generation to enter the next millennium. While supporting the Bill, I would request the Govt. through this august House to think over this point. Thank you.

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I support the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Bill, 1999. Sir, we are amending the Constitution, time and again every ten years, to extend the reservation. We have to find out why, even after 50 years of Independence, that inadequacy is there in the representation, whether it is in the case of Scheduled Castes or Other Backward Classes or the socially deprived sections. What does it indicate? It indicates that we are going against the Preamble of our Constitution. We have undertaken to provide social justice, economic justice and political justice. But the Government has no mechanism to review it. Is it not the fundamental duty of any Government to provide social justice, economic justice and political justice, to all its citizens irrespective of caste, creed or colour? It is not only the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who should get social justice, political justice and economic justice, but the other citizens as well. Have we done that? Now the time has come to review it. I would like to know from the Minister whether every citizen of this country has got social justice, economic justice and political justice. Why are we not getting justice? There is discrimination. The Constitution clearly prohibits discrimination, but the very reason that various sections have not been adequately represented shows that there is discrimination. That is why I feel, the words "inadequate representation" mentioned in the Constitution have to be clearly defined. If the word 'inadequate' is to be defined, it should be done clearly whether it means proportional representation according to the population or something else. What is it? How do you take into account if one community, one section, one social group is not represented? Articles 15 and 16 give the right to the Government to make

legislation and to provide for adequate representation. Now how do you judge that adequate representation? Take, for example, the minorities. Their demand has been curtailed just because they are a religious group.

You Consider the minorities or the Muslims as a social group. Do not consider them as a religious group. If you take them as a social group, you can see the inadequacy. Their representation in the services, their representation in education, is hardly 1.5 per cent. How do you consider this inadequacy? What is the means the Government adopts to remove this imbalance and inadequacy? Why is there a demand for reservation? When a social section, a social group, is depreived of certain citizen rights, then that social group will rise to get its rights and then there is a demand for reservation. On whom is the responsibility? There is a discrimination. There is a set of inadequate representation. The only answer to those who are exploited is to provide reservation indefinitely so that they could understand that they should not be discriminated against.

Sir, I support this Bill. The Law Minister has rightly said—I welcome it—that he is holding a convention. The convention should be for finding out why social and political justice to the citizens has not been given. It is not just a particular section. There is a need to see that social justice should be given to all the citizens. Why is the Government not able to provide it? What are the ways and means you have to devise to see that justice—social, economic and political—is given? You have also to find out what the inadequacy is. I urge upon the Law Minister and the House to define that inadequacy. Because we have not defined the inadequacy, we are keeping it in silence. Then, we should see that the Constitution which is supreme, the Constitution which is sacred and the Constitutional Preamble which is sacred are implemented.

Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Mr. C. Ramachandraiah. He is not there. Mr. Sanatan Bisi. You have five minutes.

SHRI SANATAN BISI (Orissa): Sir, I have only two or three points. I would like to mention just about the impediments.

I welcome the legislation. But I have to say something about the impediments. I have got a statement showing the percentage of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the population of each State in the Indian territory, the percentage of reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the State services and the actual percentage of representation of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the State services. The statement is clear as to the population in all the States, the percentage of reservation prescribed and the actual percentage of reservation

in the services, namely, Group A, Group B, Group C and the Group D services. So far as the percentage of reservation prescribed in respect of different States is concerned, the minimum for the Scheduled Castes is 15 and that for the Scheduled Tribes is six. If you see the records of the States, so far as the Group A, Group B, Group C and Group D services are concerned, there is no fulfilment of the prescribed reservation quota till now. So, first of all, I would say that the Centre should move to the State Governments for the purpose of compliance with the minimum prescribed reservation.

Secondly, I would say that the precribed quota in Group A, B, C, and D services are not fully absorbed because of want of caste certificates as required. That much difficulty is faced by the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in obtaining caste certificate. Articles 341 and 342 are very clear, as to the groups within castes, races and tribes which shall, for the purpose of provision, be deemed to be Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But till now, no notification has been issued in respect of groups within the castes, within the tribes. There are certain difficulties in obtaining a caste certificate as a result of which the instructions which are required to be complied with in respect of vacancies in the Group A, B, C and D services, are not complied with. So, I request the Minister to examine this point and ensure that the caste certificate is issued to the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, belonging to various castes, races and tribes as per the observations of the Supreme Court and the High Courts.

Secondly, regarding the information contained in brochure on reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, I would like to inform the House that I was a Member of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. When we were touring different States, at that time, we had asked for the annual statement to find out whether the instructions contained in the brochure on reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been complied with or not. I was really surprised to know that Government officials as well as heads of several organizations are not aware of this thing. The annual statement shows the total number of Government servants belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes category as on Ist January of the year. It also gives the particulars of recruitment made and the number of vacancies filled in respect of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It also gives information about organized services and various grades of services. It also gives information relating to the roster maintained for purely temporary appointments for vacancies in Group A, B, C and D services.

The requisite instructions issued in this behalf are not complied with and the necessary record is not being maintained. It is not possible to find out as to

what extent we have achieved the target in so far as the question of reservation in the Government services is concerned. I request the Minister to take not of my suggestion in respect of brochure on reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I also request him to ensure that the instructions in respect of filling up the vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Group A, B, C and D Government services are complied with properly. Thank you.

**श्री आर॰ एन॰ आर्य** (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आरक्षण का यह डेढ़ सौ साल का संघर्ष है। वर्ष 1840 से लेकर 1902 के बीच में एक बहुत बड़ा संघर्ष चला और 1902 में छत्रपति शाहू जी महाराज ने बहुत सोच-समझ कर यहां के मूल निवासी शूद्रों के लिए 90 परसेंट आरक्षण की परंपरा शुरू की। वर्ष 1902 के बाद इन्हें मूल धारा में जुड़ने के लिए समाज से बहुत जूझना पड़ा और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1919 में, तो उस वक्त शूद्र कम्युनिटी के लिए एक थोड़ा सा आरक्षण दिया गया, जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से लोगों ने जाना। इसका काफी विरोध हुआ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1922 से लेकर 1927 के बीच में डा॰ साहब अम्बेडकर ने काफी संघर्ष किया। वर्ष 1931 में फिर पूना पैक्ट तक पहुंचते-पहुंचते, जब मैकडानोल्ड ने राउंड टेबल कांफ्रेन्स के लिए कॉल किया था, बाबा साहब ने इस बात को रखा कि जो मानव जीवन स्तर से नीचे जी रहे हैं उनको समानता में लाया जाए और 1932 में आकर पूना पैक्ट में इसकी परिणति हुई। उसके बाद 1935 में वह जातियां जो कम्युनल अवार्ड से दूर कर दी गई थीं शूद्रों की, वह अति-शूद्र में रहने वाली जातियां लिस्टेड हुई, जो अनुसूची इंडिया एक्ट द्वितीय के रूप में बनी। वर्ष 1935 से 1940 के बीच में बाबा साहब डा॰ अम्बेडकर ने तमाम बैकवर्ड क्लास, शेडयुल्ड कास्ट, माइनोरिटीज के लिए संघर्ष किया। वर्ष 1946 में जब कमीशन आया, कैबिनेट मिशन आया, सवाल था कि इन लोगों की कैसे स्थिति बदल सकते हैं तो उन्होंने कहा कि शिक्षा से नारी और शूद्रों की स्थिति बदली जा सकती है। शिक्षा पहले मिले, फिर नौकरी मिले और नौकरी के बाद संपत्ति, सुरक्षा, न्याय के क्षेत्र में इनको बारबरी का हक मिले।

उपसभाध्यक्ष जी, 25 नवंबर, 1949 को बाबा साहब डा॰ अम्बेडकर ने काफी संवेदना से कहा था कि इस संविधान में, जिसको बड़ी मेहनत से बनाया जा रहा है, संविधान चलाने वालों की नीयत पर डिपेंड करता है क्योंकि संविधान कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो अगर उसको चलाने वालों की नीयत अच्छी नहीं तो कोई उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। बाबा साहब डा॰ अम्बेडकर ने जब इस संविधान को बनाया तब उन्होंने कहा था कि इसको आरक्षण दस साल के लिए हम दे रहे हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो और इसलिए मैं इसका (84वें संविधान संशोधन बिल) पूर्ण समर्थन करता हूं। साथ ही मैं चाहता हूं कि जुडिशयरी में, सुरक्षा में इनको पूरा न्याय दिया जाए और पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण किया जाए जो अभी बकाया है।

धन्यवाद!

SHRI V.P. DURAISAMY (Tamil Nadu): Sir, on behalf of my party, I whole-heartedly welcome this Amendment Bill. At the time of elections, all the Opposition parties had preached that if the NDA came to power, it will not safeguard the interests of the Scheduled Castes / Scheduled Tribes. But

after coming to power, the first step taken by the Government of our great leader, Shri Vajpayee, is to extend the facility of availing of the reservation benefits by the SC/ST employees for a further period of ten years. It is a welcome approach. The Opposition parties have also appreciated the action taken by the Government of our great leader, Shri Vajpayee.

Sir, more than 25 Members have expressed their appreciation and mooted some suggestions to the Government. The Constitution Bench of the Supreme Court, in its recent judgment, pronounced in August, 1999, in the case of admission to post-graduate and super-speciality courses in engineering and medical colleges, held that the admissions can be made only on the basis of merit and reservation in these courses would not be "in the national interest". And another Constitution Bench, in its judgment, pronounced on 16.09.99, held that Articles 16-1 and 16-4(A) do not guarantee any fundamental rights to the SC/ST employees and, therefore, they cannot be given seniority on promotion. According to this Judgment, the SC/ST employee can seek further promotions only against the reserved quota and not against the unreserved candidates, indirectly. These judgments are to be reviewed and the august Parliament should enact a comprehensive Act so that the interference of judicial forums in the case of reservation can be avoided. After the Supreme Court passed the judgment, the Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees are in an agitated mood as if they have been deprived of their fundamental rights. I urge the Government to bring forward another amendment. Article 16-4(1) should be amended to provide the reservation benefits to the SC/ST employees; otherwise, there is no use in extending the period further for that purpose.

Apart from that, the Government should monitor to see whether the non-SC/ST people living in the mofussil areas are availing of the benefits. A large number of persons are going to the courts. The courts are trying the cases for seven or ten years and by the time the employees may have put in more than seven years, and the courts are not punishing the persons who have got employment by producing fictitious SC/ST certificates. My leader is the only Chief Minister who has made a provision for one per cent reservation for those who had inter-caste marriages. Employment opportunities can be given to those who are marrying inter-caste. Those facilities can also be given to their children. Sir, I sincerely request to the Government that it should bring forward a suitable amendment before the House and that should be discussed in great length. It was placed before our Law Minister yesterday in the Lok Sabha without any difference of opinion. All the parties passed the Amendment Bill unanimously. It is a welcome approach. I welcome this Amendment Bill and I request that the necessary amendment should be brought forward very shortly. Thank you, Sir.

DR. (M. S.) P. SELVIE DAS (Nominated): Sir, many hon. Members have spoken on this Bill. It is not a favour for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes; it is justice. All the 300 crore people in our country need justice. Sir, if you will give me only five minutes, I will complete my points.

I would like to speak on reservations in recruitment. Sir, in recruitments, we have the Roster System. Take, for example, number one and seven are for the Scheduled Castes; like that they went up to hundred. Number three and fourteen for the Scheduled Tribes. In the same way, they went up to hundred. I don't know whether they have droppped this Roster System or not. Again we should carry over that Roster System there. For example, they give advertisement for a post, and if the Scheduled Caste candidate is not there, they carry it over for three times only. It is only the fourth time that they advertise it as a general category, or, OBC vacancy, or, whatever it is. This is the position. I think, we should bring back the Roster System, not only on paper, but it should be implemented actually. All the previous Governments have passed several Bills and made several rules. And these Bills have been sent to all the ministries and departments, in the form of rules. But who is there to see to it that these rules are implemented and the people are benefited? Not only the Government, but the public sector and the nationalized banks have got a lot of funds. They don't bother about the reservation at the recruitment level at all.

Now, I will come to the point of promotion. Earlier, they had reservation in promotions also. Of course, the Supreme Court has given some judgement. As a result of this, there have been a lot of problems. We have to see that they not only get the reservation for ten years, but we have also to see that they adjust the recruitment level itself, and that they don't stop there itself. We have to see that they are able to get at least one or two levels of promotion also through reservation. I do not say that it should be at the higher levels also, but, at least, they should be able to get one or two levels of promotion.

Well, if you talk about employment exchanges, we had very bad experience. I have shared them with Mr. Duraisamy also. They keep on lowering the serial number of the Scheduled Caste people. Ultimately, they never get the card to attend any interview. For years together they do not get their cards. They register themselves and when they go to the offices, they are asked to show their employment cards. They never get them at all. That is another area where we have to be really very keen.

Coming to education, if you go to the rural areas, there are some people who are not educated, or, who are not going to the school. They are the Scheduled Caste children. Of course, these children have to help their family because they are economically very poor. If you take the drop-out level,

again, it is Scheduled Castes who are dropping out. If you think in terms of child labour, again, it is the Scheduled Caste people. These are the areas—I cannot go into the details—where we have to think. We keep saying that the courts come in the way. But what I feel is that the Government should come in the way and bring in amendments now and then. It should be able to help the people, even if they get court orders.

I don't want to get into any kind of controversy. The minorities category should not be linked with the Scheduled Caste and Scheduled Tribe reservations. Let them have their own reservation, whether they belong to OBC, or, to any backward tribe. If they club them together, then, the Scheduled Caste people will never get it. In our country, the most deprived people, economically, socially and politically, are the Scheduled Caste people.

From my experience, I have seen that in some States, they have brought in some groups of people, who are economically and educationally better off, into the Scheduled Caste category.

As a result the real Scheduled Caste people are deprived.

There is one more point. Mr. Hanumanthappa very emotionally spoke about untouchability and all that. The real forward community people manage to get the caste certificate in order to get the benefit. This has to be outside the game, I feel. I would like to say one more point. Ours is such a big country. We are saying that there are 30 crores of such people. The creamy layer is also there. When we politically speak, how many Chief Ministers have we got from these castes in this country? How many Secretaries have we got? Do we have so many civil servants who are coming from these groups? According to my knowledge, in Government of India and in many State Governments there are not many people who are occupying high positions. We have so many commissions. Except the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission, there are many other commissions which are headed by other people. I don't want to take much of the time of the House. The hon. Law Minister has mentioned that he is going to have a convention. I would like to know how ultimately we are going to implement the findings at the convention, how we will thread them into our society so that the society will be benefited and Justice will be meted out to the Scheduled Castes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Now, all the hon. Members who desired to speak have spoken.

**श्री संघ प्रिय गौतम:** हमारा एक्सपीरिएंस यह कहता है कि जब-जब शैड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर चर्चा हुई, या तो हुई नहीं कई-कई सालों तक, अगर हुई तो चार घंटे, छः घंटे। तो इसके लिए सेशन में तीन दिन का समय मुकर्रर् किया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I am confident that one the hon. Minister, Mr. Jethmalani, gives his word, he will keep it. So, you need not have any apprehension about it. Before I request the hon. Minister to give his reply, there is a message from the Lok Sabha.

## MESSAGES FROM THE LOK SABHA

(i) The Income-tax (Amendment) Bill, 1999.

(ii) The Contingency Fund of India (Amendment) Bill, 1999.

(iii) The Representation of the People (Amendment) Bill, 1999.

THE SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha.

(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Income-tax (Amendment) Bill, 1999, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 28th October, 1999."

"The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Consitition of India."

(II)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the contingency Fund of India (Amendment) Biil, 1999, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 28th October, 1999."

"The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Consitition of India."

(III)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Representation of the People (Amendment) Biil, 1999, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 28th October, 1999."

Sir, I lay a copy each of the Bills on the Table.

## THE CONSTITUTION (EIGHTY-FOURTH AMENDMENT) BILL, 1999—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Now, the hon. Minister, you have to give your reply.